BCCI BULLETIN

Vol. XXXXVIII | 30th April 2017 | No. 4

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

वाणिज्य-कर आयुक्त सह प्रधान सचिव के साथ चैम्बर में बैठक

• बिहार को नहीं होगी क्षतिपूर्त्ति की आवश्यकता • व्यवसायी आइटी फ्रेंडली हो जाँय
• व्यवसायियों को मिलेगा प्रशिक्षण - वाणिज्य-कर आयुक्त • GST के लिए हेल्प लाइन की हो व्यवस्था- चैम्बर अध्यक्ष

बैठक में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः वाणिज्य कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, अपर आयुक्त श्री अरूण कुमार वर्मा, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं वैट उप-समिति के सह संयोजक श्री आलोक पोद्दार। दाँयीं ओर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 11 अप्रैल, 2017 को वाणिज्य-कर आयुक्त सह प्रधान सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, भा.प्र.से. के साथ एक बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर वाणिज्य-कर विभाग के अपर आयुक्त श्री अरूण कुमार वर्मा, संयुक्त आयुक्त श्री राजेश कुमार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने की।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा कि आजादी के बाद देश के सबसे बड़े कर सुधार वस्तु एवं सेवा कर (Tax Reform-GST) की ओर हमारा देश अग्रसर है और इसके 1 जुलाई, 2017 से लागू होने की पूरी सम्भावना है। GST से सम्बन्धित चार Bills- CGST, UTGST एवं Compensation to States संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुके हैं और साथ ही GST की शीर्ष संस्था GST Council ने राज्यांतर्गत आने वाले SGST एवं GST से सम्बन्धित Rules को भी अनुमोदित कर दिया है ।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज हमेशा से ही GST का समर्थन करता रहा है और इस दिशा में अपनी जिम्मेवारियों के निर्वहन में भी अग्रसर रहा है। इसी कड़ी में चैम्बर ने कई उपयोगी कार्यशालाओं का आयोजन किया है तथा भविष्य में भी ऐसे आयोजन होते रहेंगे।

श्री अग्रवाल ने कहा कि आज जब हम विभिन्न केन्द्रीय करों एवं राज्याधीन करों से निकलकर पूरे देश में समान रूप से लागू होने वाले एक व्यवस्था GST में प्रवेश कर रहे हैं ऐसे समय में यह आवश्यक है कि इस Transitional Phase को बड़ी ही सुगमता से निकाला जाय ताकि कम से कम असुविधाओं का समाना करना पड़े।

इसके अतिरिक्त चैम्बर अध्यक्ष ने GST से सम्बन्धित व्यापारियों को हो रही समस्याओं एवं सुझावों को वाणिज्य-कर आयुक्त के समक्ष रखा। उन्होंने व्यापारियों को GST से सम्बन्धित हर सम्भव सहयोग का भरोसा दिलाया।

इसके पश्चात् वैट उप समिति के सह-संयोजक श्री आलोक पोद्दार ने जीएसटी से सम्बन्धित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया।

वाणिज्य-कर आयुक्त सह प्रधान सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी ने अपने सम्बोधन में कहा कि जीएसटी संसद में पास हो गया है और कुछ दिनों में इसका गजट भी प्रकाशित हो जायेगा। जीएसटी लागू होने के पश्चात् लगभग सभी काम कम्पयूटराइज्ड हो जायेगा। इसके लिए व्यवसायियों को जानकार लोगों को रखना होगा तथा इन्टरनेट व्यवस्था को बेहतर रखना होगा। जीएसटी लागू होने के बाद व्यवसायियों को काफी सशक्त होना होगा। सभी राज्यों के पास 15 मई 2017 तक जीएसटी कानून लागू करने का निर्देश भी प्राप्त हो चुका है। इसके लिए जीएसटी नेटवर्क के अधीन कार्य करना होगा। यह कम्पनी पूरे देश में मेरूदण्ड तैयार कर रही है। बिहार एक उपभोक्ता राज्य है। अतः क्षतिपूर्त्ति की जरूरत बिहार को नहीं पड़ेगी। GST के लिये जो Unique arrangement भारत में है, वैसी और कहीं नहीं है।

श्रीमती चतुर्वेदी ने कहा कि वैसे व्यापारी/उद्यमी जो GST से सम्बन्धित प्रशिक्षण को इच्छुक हों वे प्रशिक्षण हेतु Roster बनकार दें कि कहाँ-कहाँ बैठक करनी है, हम बैठक करवा देंगे, प्रशिक्षण भी देंगे। कम्प्यूटर की तकनीकी जानकारी व्यवसायियों को रखनी होगी। अन्यथा जीएसटी में काफी परेशानी होगी। आई०टी० एक्सपर्ट का Role अब काफी बढ़ जायेगा। प्रधान सचिव ने कारोबारियों से आग्रह किया कि यह कर प्रणाली पूरी तरह ऑटोमेटिक एवं

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

जीएसटी बिल लोक सभा एवं राज्य सभा से पास होने के बाद दिनांक 24 अप्रील, 2017 को विधानमंडल से भी ध्वनिमत से पास हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानमंडल में कहा कि प्रारंभिक अनुमान के मुताविक बिहार के राजस्व संग्रहन में 8–10 हजार करोड़ की वृद्धि होगी। जीएसटी नया कानून बना है, नयी प्रक्रिया से होकर सभी को गुजरना होगा। कानून बना है तो संभवतः कठिनाईयाँ भी आयेंगी। परन्तु देश को लाभ होगा तो बिहार भी लाभान्वित होगा।

व्यवसायी बंधुओं को जीएसटी की पूर्ण जानकारी से अवगत कराने हेतु चैम्बर ने पूर्व में भी कई कार्यशालाएँ/बैठकें आयोजित की है। अप्रील माह के दौरान चैम्बर में दिनांक 03 अप्रील, 2017 को एक कार्यशाला आयोजित हुई जिसमें वाणिज्य–कर विभाग के संयुक्त सचिव श्री अरूण कुमार मिश्रा जी ने जीएसटी पर पूरी जानकारी दी। दिनांक 11 अप्रील, 2017 को वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, भा.प्र.से. के साथ चैम्बर में बैठक हुई। इस बैठक में श्रीमती चतुर्वेदी ने जीएसटी से संबंधित काफी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जीएसटी के लिए व्यवसायियों को प्रशिक्षण भी देंगे जहाँ के लिए उन्हें पूर्व से सूचित किया जायेगा। उन्होंने चैम्बर से रोस्टर बनाकर देने का भी अनुरोध किया है। उसी आधार पर चैम्बर ने भी व्यवसायिक संगठनों से अनुरोध किया है कि वे अपने चैम्बर में कब प्रशिक्षण रखना चाहते हैं, हमें शीघ्र स्थान, समय एवं तिथि के साथ सूचित करें ताकि चैम्बर वाणिज्य–कर विभाग को अग्रसारित कर सके।

दिनांक 15 अप्रील, 2017 को भी चैम्बर में जीएसटी पर एक जागरूकता कार्यक्रम इस्टीच्युट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया, पटना चैप्टर के साथ आयोजित हुआ जिसमें सी.ए. श्री विवेक गुप्ता, दिल्ली प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित थे।

इन सभी आयोजनों के अतिरिक्त दिनांक 10 अप्रील, 2017 को चैम्बर प्रांगण में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी श्री शत्रुध्न सिन्हा, आई.एफ.एस. के साथ बैठक हुई जिसमें पासपोर्ट के संबंध में सदस्यों को कई जानकारियाँ दी गयी। कतिपय शंकाओं का समाधान भी किया गया।

उपर्युक्त आयोजनों की सफलता में आपकी सक्रियता एवं सहभागिता हेतु धन्यवाद।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग **(BERC)** द्वारा घोषित बिजली की दरों में बढोतरी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर राज्य सरकार ने सब्सिडी द्वारा राहत देने की कृपा की है। परन्तु शहरी उपभोक्ताओं एवं उद्योगों के लिए जो सब्सिडी दी गयी है, वह उत्साहवर्द्धक प्रतीत नहीं होता है। चैम्बर की ओर से सब्सिडी प्रदान करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए व्यवसायियों को कुछ और राहत प्रदान कराने हेतु उनके समक्ष एक बार पुनः अनुरोध करूंगा।

सादर,

आपका

पी0 के0 अग्रवाल

इंटरनेट आधारित है। अतः अपना पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करें। इसका लाभ हैकर भी उठा सकते हैं।

प्रधान सचिव ने बताया कि अभी विभागीय अधिकारी GST प्रशिक्षण ले रहे हैं। वैट के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि तीन माह बाद बन्द हो जायेगा। उसका डाटा तैयार कर लिया गया है, जहाँ तक GST कर घटाने या बढ़ाने का प्रश्न है, वह अभी सम्भव नहीं है। कारोबारियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो इसके लिए हेल्पलाईन तैयार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त हिन्दी एवं अंग्रेजी में बुकलेट तैयार किया जा रहा है जिससे लोगों को जीएसटी कानून समझने में आसानी होगी। वैसे CA ने भी काफी साइट्स खोल रखे हैं जिसमें GST सम्बन्धित कई जानकारियाँ उपलब्ध हैं।

प्रधान सचिव ने बताया कि माइग्रेशन से सम्बन्धित कोई भी संशोधन जुलाई के बाद होगा। माईग्रेट करने वाले व्यापारी/उद्यमी जून तक ARN Generate कर लें क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण कार्य है। माइग्रेट से सम्बन्धित कई बातें अभी स्पष्ट नहीं हो पायी है।

अंत में उन्होंने कहा कि GST में किसी भी शंका, परेशानी को मैं दूर करूंगी। मेरे विभाग के श्री राजेश कुमार जी और मार्कण्डेय ओझा जी हमेशा उपलब्ध हैं। कोई अधिकारी आपको मदद नहीं करें तो मुझे बताएं।

बैठक में श्री गणेश खेमका, श्री जी० पी० सिंह, श्री एम० पी० बिदासरिया, श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला, श्री उत्पल सेन, श्री मनोज आनन्द, पाटलिपुत्र सराफा संघ के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार सहित कई सदस्यों ने अपनी समस्याएं बताई जिसका जवाब प्रधान सचिव ने दिया।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि सहित चैम्बर सदस्य व प्रेस बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे।

उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन के धान्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक सम्पन्न हुई।

दिनांक 11.04.2017 को आयोजित वाणिज्य-कर विभाग, आयुक्त -सह-प्रधान सचिव, श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी के साथ आयोजित बैठक में चैम्बर द्वारा समर्पित ज्ञापन के मुख्य बिन्दु :-

1 अधिकांश लोगों को अभी तक GST के बारे में पर्याप्त जानकारी नही है। अतः तमाम व्यवसायियों एवं उद्योग जगत से जुड़े लोगों को GST के बारे में विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता है और इस हेतु हमारा विभाग से अनुरोध होगा कि tradewise वाणिज्य-कर सर्किल के स्तर पर एवं वृहत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम कम से कम सप्ताह में एक बार आयोजित कराये जाने की आवश्कता है, क्योंकि अब बहुत ही कम समय हाथ में रह गया है।

2 सामान्य व्यवसायियों को ध्यान में रखते हुए GST पर हिन्दी/अंग्रेजी में बुकलेट तैयार करायी जानी चाहिए तथा इसका वितरण सुलभ रूप से सभी संबंधित लोगों को हो पाये, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

वाणिज्य-कर विभाग द्वारा व्यवसायियों की सुविधा के लिए GST के लिए एक विशेष Helpline की व्यवस्था की जानी चाहिए।

3 GST की ओर पहले कदम में वर्तमान में निबंधित dealers का GST में migration किया जाना है। यह प्रक्रिया हमारे राज्य में 15 नवंबर, 2016 से चालू है परन्तु तमाम प्रयासों के बावजूद अभी भी हमारे प्रांत के काफी dealers GST के migration process को पूरा करने में समर्थ नही हो पाये हैं। ऐसे dealers को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है।

(क) वैसे dealers जिन्होंने सर्किल स्तर पर विभाग के data base में आवश्यक संशोधन करवाकर अपना PAN Validate करा लिया है परन्तु उन्हें अभी तक GST का Provisional ID pop-up प्राप्त नही हुआ है। ऐसे कुछ dealers की सूची आपके ध्यानार्थ समर्पित की जा रही है। हमारा आग्रह होगा कि ऐसे सभी dealers के लिए GSTN से यथाशीघ्र कारवाई कर Provisional ID उपलब्ध करवा दिया जाये।

हमें ऐसा ज्ञात हुआ है कि petroleum product में deal करने वाले अधिकांश व्यवसायियों का pop-up अभी तक नही आया है।

(ख) वैसे dealers जिनका वर्तमान वार्षिक टर्न ओभर GST के

threshold limit से कम है, उनके संदर्भ में हमारा मानना है कि ऐसे dealers यह मान चुके हैं कि उन्हें GST में migration करने की आवश्यकता नहीं है। जबकि GST के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में निबंधित सभी dealers को एक बार GST में migrate करना आवश्यक है। इस हेतु हमारा विभाग से अनुरोध होगा कि ऐसे dealers को उनके email ID पर मेल के द्वारा तथा मोबाईल पर SMS के द्वारा सूचना दी जानी चाहिए साथ ही इस तथ्य की पूर्ण जानकारी अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से भी दी जानी चाहिए।

4. जैसा कि हमने पूर्व में भी आपका ध्यान आकृष्ट किया था कि चूँकि GST 1 जुलाई, 2017 से लागू होने जा रहा है ऐसी स्थिति में वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही को वित्तीय वर्ष 2016-17 के साथ जोड़कर सभी वैधानिक कारवाई यथा समीक्षा, कर निर्धारण इत्यादि consolidated रूप में एक साथ की जाती है तो व्यवसायियों को मात्र तीन महीने के लिए की जाने वाली अतिरिक्त कारवाई से मुक्ति मिलेगी। हमारा आपसे पुन: अनुरोध है कि इस पर गंभीरता से विचार करने की कृपा करें।

5. GST लागू होने के उपरान्त बिहार वैट एक्ट अप्रासंगिक हो जायेगा, अत: हमारा सुझाव होगा कि पूर्व के सभी वर्षो के लिए लम्बित कार्यवाही यथा समीक्षा, कर निर्धारण, आकलन इत्यादि का शीघ्रतिशीघ्र निपटारा करवाने की व्यवस्था की जाये।

ऐसा देखा गया है कि Section-25 के अन्तगर्त की जाने वाली समीक्षा हेतु निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी नोटिस निर्गत की जाती है। हमारा सुझाव होगा कि इस संबंध में उचित दिशा-निर्देश जारी कराया जाये तथा समय सीमा बीत जाने के बाद लंबित मामलों हेतु संबंधित अधिकारी को जिम्मेवार बनाया जाना चाहिए।

6 विभाग के न्यायिक स्तर पर लंबित वैट से जुड़े सभी मामलों का भी निष्पादन यथाशीघ्र कराया जाना चाहिए।

7 वैधानिक प्रपत्र C and F के लिए दिये जाने वाले आवेदन को सकारात्मक रूप से निर्णय लेते हुए उन्हें निर्गत किया जाना चाहिए। विदित हो कि GST में वैट अन्तगर्त किये जाने वाले दावों की स्वीकृति हेतु सभी प्रपत्रों को 6 माह के भीतर दाखिल करना आवश्यक है।

8 हमारे बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजुद सर्किल कार्यालयों में dealer द्वारा जमा किये गये documents, पत्र आदि की प्राप्ति रसीद सामन्यत: नही मिल पाती है आग्रह है कि इसके अनुपालन हेतु निर्देश जारी करने की कृपा की जाये।

जीएसटी पर चैम्बर प्रांगण में कार्यशाला का आयोजन

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर क्रमश: वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त सचिव, श्री अरूण कुमार मिश्रा, संयुक्त आयुक्त श्री मोहनाथ मिश्रा एवं वैट उप समिति के संयोजक श्री नवीन कुमार मोटानी। दाँयीं ओर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

दिनांक 03 अप्रील, 2017 को चैम्बर द्वारा वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) पर एक कार्यशाला का आयोजन चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार के संयुक्त सचिव श्री अरूण कुमार मिश्रा, भा.प्र.से. ने इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। श्री मोहनाथ मिश्रा, संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला में चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन के साथ चैम्बर के कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, वैट उप-समिति के संयोजक श्री नवीन कुमार मोटानी, सह-संयोजक श्री आलोक पोद्दार के साथ बड़ी संख्या में चैम्बर के सदस्यगण, कामर्शियल टैक्सेस बार एसोसियेशन के सदस्यगण तथा आई.सी.ए.आई., पटना चैप्टर, बिल्डर एसोसियेशन ऑफ इंडिया, पटना चैप्टर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण भी उपस्थित थे।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्य अतिथि श्री अरूण कुमार मिश्रा एवं श्री मोहनाथ मिश्रा का स्वागत किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि आज की कार्यशाला का आयोजन बहुत ही सामयिक है, जिसका हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैट के लागू किये जाने के पूर्व एवं इसके पश्चात् भी बिहार चैम्बर आफॅ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने विभाग एवं राज्य सरकार के साथ मिलकर कई कार्यशालाएँ एवं अन्य महत्वपूर्ण आयोजन किये थे। जिनके फलस्वरूप वैट अपने राज्य में सफलीभूत हुआ। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी देश में कर-प्रक्षेत्र में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन है, जिसके द्वारा सम्पूर्ण देश में सभी अप्रत्यक्ष कर, एक कर में समाहित हो जायेंगे तथा कर की दर भी पूरे देश में एक ही रहेगी। स्वाभाविक है कि ऐसी कर प्रणाली को अपनाने के लिए हमें इसे अच्छी तरह से समझना और इसकी प्रक्रियाओं को भलीभांति सीखना होगा। अत: चैम्बर के लिए जीएसटी पर बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। चैम्बर ने निश्चय किया है कि इसके द्वारा संगोष्ठि, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से जीएसटी पर अधिकाधिक जागरूकता अपने सदस्यों एवं अन्य व्यवसायियों को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

श्री अरूण कुमार मिश्रा, अपर सचिव, वाणिज्य-कर विभाग ने कार्यशाला का प्रारंभ करते हुए बताया कि जीएसटी काउन्सिल एवं लॉ कमिशन के द्वारा अब तक जीएसटी से संबंधित पाँच विधेयक तथा आठ नियमावली तैयार कर पब्लिक डोमेन में डाल दिये हैं। काउन्सिल की बैठकें लगातार चल रही हैं और ऐसी आशा है कि अप्रील माह में ही सभी नियम-कानून तैयार हो जायेंगे। उन्होंने बताया कि मॉडल जीएसटी लॉ में संशोधन कर 22 कंडिकाओं को 3 सेक्शनों में

समाहित कर दिया गया है तथा इसे संरचनात्मक स्वरूप दे दिया गया है। उन्होंने व्यवसायियों से आग्रह किया कि वैसे व्यवसायी भी जिनका सलाना टर्न ओभर जीएसटी थ्रेसहोल्ड से कम है वे भी जीएसटी में माइग्रेट कर लें। यदि आवश्यकता हुई तो ऐसे व्यवसायी जीएसटी लागू होने कि तिथि (अप्वाइन्टेड डेट) के 30 दिनों के भीतर अपने संस्थान को अपंजीकृत करा सकते हैं। जीएसटीएन से पॉप-अप नहीं प्राप्त हो पाने की समस्या के संदर्भ में उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में व्यवसायियों को वर्तमान में इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, परन्तु उन्होंने आश्वस्त किया कि विभाग इसके समाधान हेतु प्रयासरत् है तथा व्यवसायियों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नही है, वैसे सभी व्यवसायी जिन्होंने जीएसटीएन में माइग्रेट होने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है परन्तु जिन्हें पॉप-अप नहीं मिल पाया है उन सभी व्यवसायियों का जीएसटीएन में पंजीकरण जीएसटी लागू होने की तिथि से पहले अवश्य हो जायेगा।

उन्होंने चैम्बर को आश्वस्त किया कि 15 मई के बाद जीएसटी पर आवश्यकता अनुरूप कार्यशालाओं का आयोजन कराया जायेगा। चैम्बर में ऐसे 10 आयोजन किये जाने का विभाग की योजना है।

अपने प्रारंभिक संबोधन के पश्चात् श्री अरूण कुमार मिश्रा ने ट्रांजिशनल प्रोविजन्स अंडर जीएसटी के तहत एक विस्तृत प्रेजेन्टेशन दिया तथा सदस्यों को विस्तार से जानकारी दी।

वैट उप-समिति के संयोजक श्री नवीन कुमार मोटानी के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यशाला समाप्त हुई।

ट्रांजिशनल प्रोविजन्स अंडर जीएसटी के तहत दिये गये प्रेजेन्टेशन के प्रमुख विन्दु निम्न हैं:-

MIGRATION OF EXISTING DEALERS

- Every **existing registered** person with a **valid PAN** to enrol on common portal by **validating** e-mail and mobile number
- Person with multiple TINS on one PAN to be granted one provisional registration
- After such validation he is provisionally registered
- Provisional registration to become final upon-
  - providing **correct and complete information within 3 months** in Form GST REG-24
  - uploading supporting documents, and
  - e-signing the form
- If information not uploaded or is found incorrect or incomplete, provisional registration liable to cancellation
- Person not liable under GST may apply within 30 days for cancellation which may be done after enquiry

(Section 139, Rule 16.Reg.)

ITC of carried forward credit

- **Registered** person entitled to credit of following:
  - CENVAT/VAT/ET, **(if allowed),** relating to inputs carried forward in last periodic return under existing law
  - **Unavailed** CENVAT/VAT credit relating to capital goods
- Above credit allowed if:
  - person has not opted for compounding under GST
  - eligible as credit under GST Law (in case of capital goods, **under exiting law too**)
  - **all** returns required during last 6 months of existing Law are furnished
  - goods not sold under any exemption notification nor refund claimed
  - duly signed details in Form GST TRAN-1 uploaded within 60 days of appointed day
- Credit in respect of claims unsubstantiated by Forms and within time prescribed under CST Act not to be claimed
- Amount of said credit to be refunded under existing law upon submission of Forms

(Section 140(1), Rule 1(1).Transition)

ITC of tax/duty in stock held

Registered person-

- not liable to registration under existing law **or**
- entitled to ITC at time of sale under existing law or
- engaged in supply of goods taxable under GST **BUT which, under existing law**
  - were exempt/tax free,
  - suffered tax on MRP at first point-

Entitled to credit of CENVAT/VAT/ET included in-

- inputs,
- inputs contained in semi-finished/finished goods-

Held in stock on appointed day

On following conditions

ITC of tax/duty in stock held

- Conditions:-
  - Person not under composition under GST
  - Inputs/goods used/intended to be used for making taxable supplies under GST
  - Person eligible for credit on said inputs under GST
  - In case of services, no abatement available
  - Person in possession of invoices or other documents evidencing payment of tax under existing law on such inputs
  - Such documents issued not earlier than 12 months before appointed day
  - Details of such inputs or goods declared in Form GST TRAN-1 within 60 days of appointed day

Section 140(3), Rule 1(2)(b).Transition

ITC of tax/duty in stock held

- Credit under GST on such inputs/stock available even if duty/tax paying documents not available if
  - **all other conditions are satisfied**
  - **benefit of such credit is passed on by way of reduced prices**
- Such Credit-
  - **limited to 40% of GST payable on supply of such goods under GST and**
  - **available only for 6 tax periods after appointed day and to be allowed only-**
    - *a) **after GST on supply of such goods has been paid***
    - *b) **if goods not wholly exempt from CENVAT/VAT***
    - *c) **if documents evidencing procurement available***
    - *d) **if stock at the end of each of the said 6 tax periods declared in Form GST TRAN-2***
    - *e) **if said goods stored so as to make them easily identifiable***

Section 140(3), Rule 1(3).Transition

ITC of tax/duty c/f & also in stock held

- Any **registered person** engaged in-
  - manufacture/sale/supply of
  - both taxable goods/services **and** non-taxable/tax-paid -on-MRP/tax free goods/services
- is entitled to credit of:
  - ITC carried forward in last return under existing law, and
  - tax/duty included in inputs/goods or services from such inputs-
- subject to conditions specified earlier in this regard

Sections 140(4) and rules 1(1), (2), (3).Transition

ITC in respect of inputs and input services

- Credit of CENVAT/Service tax/VAT/ET (where available) on-
- inputs/input services **received after appointed day** to be availed under GST by recipient if:-
  - the tax/duty paying document regarding same has been entered in books of recipient within 30 days of appointed day
  - duty/tax has been paid by the supplier under existing law
  - details of
    - such inputs/input services and
    - documents related thereto

  furnished by recipient within 60 days of appointed day

in Form GST TRAN-1

Section 140(5), rule 1(1)(2((c).Transition

ITC of tax/duty-miscellaneous

- ITC on account of services received by ISD prior to appointed day eligible for distribution under GST even if invoices received after appointed day
- Credit of CENVAT/Service tax carried forward in the last periodic return filed by a person with centralized registration may be
  - — availed under GST, or
  - — Transferred to another unit with same PAN-
- Subject to the following:
  - — The return is filed within 90 days of appointed day,
  - — Is an original return or a revised return in which credit has been reduced
  - — Said credit is admissible under GST
  - — Stock held on appointed is declared in Form GST TRAN-1 within 60 days of appointed day

Section 140(7),(8),(9) (only CGST Law), Rule 1(1) and (2).Transition

ITC in case of job work

- No tax to be levied under GST in respect of inputs/semi-finished-
  - — despatched to another place of business
  - — sent to job worker as such or after partial processing
  - — sent under existing law **but-**
- received (as such or after processing) after appointed day
- If inputs not received back within said period then ITC on such inputs liable to be recovered
- Aforesaid tax not payable only if the principal and the job worker both declare details of such stock held on appointed in Form GST TRAN-1 within 60 days of appointed day

Sections 141, rule 1(1) and (2). Transition

Miscellaneous Transition provisions

- Tax/duty paid under existing law on goods removed/sold to URD 6 months before appointed day to be refunded if goods
  - — are returned within 6 months of appointed day
  - — are identifiable as such
- If returned by registered dealer then the same shall be deemed to be a supply of goods
- Debit/Credit note to be issued-
  - — within 30 days of appointed day if price of goods supplied in pursuance of contract entered under existing law
  - — revised upward/downward after appointed day and-
- such note to be deemed to be issued in respect of an outward supply under this Act but-
- output tax can be reduced by supplier only if recipient has reduced his ITC

Miscellaneous Transition provisions

- Claim for refund of tax/ITC/other amount filed under existing law to be disposed of and refunded in cash under existing law but
  - — Claim for refund of ITC fully/partially rejected shall lapse
  - — No refund of ITC to be allowed if balance of ITC carried forward as credit under GST
- Same treatment for refund of tax paid under existing law
  - — claimed after appointed day
  - — in case of goods exported before or after the appointed day
- Credit reversed under existing law not admissible as credit under GST
- Appeal, revision, reference, review relating to admissibility of ITC initiated
  - — before, on or after appointed day
  - — to be disposed of in accordance with existing law and
  - — credit admissible to be refunded in cash under existing law and
  - — amount rejected not admissible as credit under GST
- Appeal, revision, reference, review relating to recovery of ITC initiated
  - — before, on or after appointed day
  - — to be disposed of in accordance with existing law and
  - — credit recoverable to be recovered under existing law unless recovered under existing law and
  - — amount so recoverable not admissible as credit under GST
- Appeal, revision, reference, review relating to output tax liability initiated
  - — before, on or after appointed day
  - — to be disposed of in accordance with existing law and
  - — any amount recoverable to be recovered under GST unless recovered under existing law and
  - — amount recovered not eligible as credit under GST
- Appeal, revision, reference, review relating to output tax initiated
  - — before, on or after appointed day
  - — to be disposed of in accordance with existing law and
  - — amount admissible to be refunded under existing law and
  - — amount rejected not admissible as credit under GST
- Tax/any other amount recoverable on assessment or adjudication initiated
  - — before, on or after appointed day
  - — to be recovered under GST unless recovered under existing law and
  - — amount recovered not eligible as credit under GST
- Tax/any other amount refundable on assessment or adjudication initiated
  - — before, on or after appointed day
  - — to be refunded in cash under existing law and
  - — amount rejected not eligible as credit under GST
- Tax/ITC/any other amount recoverable on revision of return under existing law
  - — to be recovered under GST unless recovered under existing law and
  - — amount recovered not eligible as credit under GST
- Tax/ITC/any other amount refundable on revision of return under existing law
  - — revised within time limit of existing law
  - — to be refunded in cash under existing law and
  - — amount rejected not eligible as credit under GST
- No tax payable on goods under exiting law to the extent tax was leviable under existing law even if time of supply is under section 12 of GST law
- No tax payable on services under exiting law to the extent tax was leviable under existing law even if time of supply is under section 13 of GST law
- Tax to be paid on any supply under GST even if
  - — service tax and VAT both paid under existing law
  - — on same supply but
  - — such service tax and VAT to be available as ITC to the extent of supplies under GST
- Goods sent on approval: Not tax under GST if
  - — Goods sent not earlier than 6 months before appointed day
  - — Returned within 6 months of appointed day
- No TDS under section 51 of GST to be made on

— any sale liable to TDS under VAT Law where
— the invoice has been raised before appointed day even if
— payment received after appointed day

• ITC in respect of goods/capital goods lying with agent on appointed day to be availed by such agent if
— Agent registered under GST
— Both agent and principal declare details of such stock and documents related thereto within 60 days of appointed day in Form GST TRAN-1
— Invoices relating thereto not more than 12 months old
— The principal has either not availed of the credit or reversed the availed credit on such goods/capital goods.

जीएसटी पर चैम्बर में जागरूकता कार्यक्रम

जागरूकता कार्यक्रम में मंचासीन बाँयें से क्रमशः श्री आलोक पोद्दार, वैट उप समिति के सह-संयोजक, श्री मुकेश कुमार जैन, उपाध्यक्ष, श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष, सी. ए. श्री गौरव गुप्ता (दिल्ली), सी. ए. श्री मशेन्द्र कुमार मासी, चेयरमैन आई.सी.ए.आई. (पटना चैप्टर) एवं सी. ए. राजेश खेतान, पूर्व चेयरमैन, आई.सी.ए.आई. (पटना चैप्टर)

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 15 अप्रील, 2017 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज एवं दी इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंटस एसोसियेशन ऑफ इंडिया, पटना चैप्टर के संयुक्त तत्वावधान में जीएसटी पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में दिल्ली के सी. ए. श्री गौरव गुप्ता प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर ने की। इस अवसर पर आई.सी.ए.आई., पटना चैप्टर के चेयरमैन सी.ए. श्री मशेन्द्र कुमार मासी के अतिरिक्त कई पदाधिकारीगण तथा कई व्यवसायिक संगठनों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

जागरूकता कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर ने कहा मैं सी.ए. श्री गौरव गुप्ता जी का विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने देश की एकीकर प्रणाली जीएसटी की पूर्ण जानकारी देने हेतु हमारे बीच आने की कृपा की है। इसके साथ ही मैं आई.सी.ए.आई., पटना चैप्टर का भी आभारी हूँ जिन्होंने चैम्बर के साथ मिलकर जीएसटी के इस जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन में अपनी सहभागिता निभाई है।

श्री ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार की ओर से पूरी तैयारी है कि नई कर प्रणाली 01 जुलाई, 2017 से पूरे देश में प्रभावी हो जाये। चैम्बर प्रयासरत है कि राज्य के उद्यमी एवं व्यापारी जीएसटी की प्रणाली लागू होने से पूर्व ही इसकी पूरी जानकारी से अवगत हो जायें ताकि दैनिक व्यवसायिक गतिविधियों में किसी प्रकार की असुविधा न होने पाये। इसी के तहत चैम्बर ने पूर्व में भी जीएसटी पर कई कार्यक्रम आयोजित किये हैं। इसी कड़ी में आज का यह जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि जीएसटी पर आज के जागरूकता कार्यक्रम से राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायीगण काफी लाभान्वित होंगे।

सी.ए. श्री गौरव गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी लागू होने से देश के उद्योग-व्यापार जगत में एक परिवर्तन आएगा। एक जुलाई से संभवतः लागू होने वाले जीएसटी से जहाँ कर में पारदर्शिता परिलक्षित होगी, वहीं सम्पूर्ण देश में एक ही कर-प्रणाली की भी शुरूआत होगी। उन्होंने बताया कि अभी 17 ऐसे अप्रत्यक्ष टैक्स हैं जो केन्द्र एवं राज्य सरकारें दोनो लेती हैं। जीएसटी के प्रभावी होने के पश्चात् उपभोक्ता राज्यों को अधिक लाभ मिलेगा। कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के तहत अब एक ही तरह की कर-प्रणाली से गुजरना होगा। जीएसटी के तहत सभी को माइग्रेशन कराना होगा। उन्होंने जीएसटी प्रणाली के विषय में सदस्यों को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया की सीमा शुल्क विभाग, सेवा-कर विभाग एवं वाणिज्य-कर विभाग जीएसटी के लिए पूरी तैयारी में है। केन्द्र और राज्य सरकारें जीएसटी के तहत साझा मॉनिटरिंग करेगी। अतः जरूरी है कि नियमों का सही तरीके से पालन करके दण्ड से स्वयं को बचाएँ। श्री गुप्ता ने आगे कहा कि अगर छोटे व्यापारी अपने राज्य में 20 लाख रूपये से कम का कारोबार करते हैं तो उन्हें जीएसटी में निबंधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में बिजनेस करते हैं तो निबंधन अवश्य करा लें।

आई.सी.ए.आई., पटना चैप्टर के चेयरमैन सी.ए. श्री मशेन्द्र कुमार माशी ने कहा कि जीएसटी आने से सभी काम कम्प्यूटराइज्ड हो जायेंगे। पहले विभाग में जाकर कार्य करना होता था अब सभी कार्य ऑनलाईन होंगे। ऐसे में व्यवसायियों को चाहिए कि वे पूरी जानकारी अपने कंसल्टेन्ट से जरूर ले लें, ताकि जीएसटी लागू होने के बाद होने वाले नुकसान से बच सके।

कार्यक्रम के दौरान उद्यमियों की जीएसटी संबंधित उलझनों को श्री गुप्ता ने दूर किया।

इस कार्यक्रम में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व उपाध्यक्ष

श्री बी. एन. झुनझुनवाला, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, ऊर्जा उप-समिति के संयोजक श्री संजय कुमार भरतीया, बुलेटिन एण्ड लाईब्रेरी उप-समिति के संयोजक श्री रामचन्द्र प्रसाद, वैट उप-समिति के सह-संयोजक श्री आलोक पोद्दार, आई.सी.ए.आई., पटना चैप्टर के पूर्व चेयरमैन एवं चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य सी. ए. श्री राजेश खेतान सहित कई सी.ए., चैम्बर के सदस्य सहित प्रेस एवं मीडिया के बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे।

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पटना के साथ चैम्बर प्रांगण में बैठक आयोजित

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी श्री शुत्रघ्न सिन्हा को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री. पी. के. अग्रवाल। साथ में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं महामंत्री श्री शशि मोहन।

दिनांक 10 अप्रील, 2017 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सभागार में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पटना श्री शत्रुघ्न सिन्हा, IFS के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने की। चैम्बर अध्यक्ष ने पुष्पगुच्छ भेंटकर श्री सिन्हा का स्वागत किया। अपने स्वागत भाषण में चैम्बर अध्यक्ष ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बैठक कम समय में ही तय हुई, परन्तु श्री सिन्हा ने सहृदय बैठक में उपस्थित होने की स्वीकृति दी। उन्होंने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी का ध्यान निम्न बिन्दुओं की ओर आकृष्ट कराया:-

- पासपोर्ट के आवेदन का On line हो जाने से लोगों को सुविधा बढ़ी है परन्तु बिहार में अभी भी खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से लोग Computer Friendly नहीं हुए हैं, परिणामस्वरूप वे आधुनिक तकनीक का लाभ नहीं उठा पाते हैं। अत: वैसे लोगों के लिए पासपोर्ट कार्यालय में समुचित संख्या में ''सहायता केन्द्र'' की स्थापना करायी जानी चाहिए।
- राज्य के दूर-दराज के लोगों को पटना आकर पासपोर्ट बनाने में हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य के वैसे महत्वपूर्ण जिले जहाँ से अधिकाधिक आवेदन आते हों, उनके लिए स्थानीय स्तर पर ही पासपोर्ट बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि उन्हें बार-बार पटना आने की आवश्यकता न पड़े।
- वैसे लोग जिन्हें पूर्व में पासपोर्ट जारी की जा चुकी है परन्तु अपरिहार्यवश खो गया हो या चोरी हो गया हो और वे पासपोर्ट के लिए पुन: आवेदन करते हैं तो वैसे लोगों के लिए Police verification को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए।
- राज्य के दूर-दराज के लोगों को स्थानीय स्तर पर ही पासपोर्ट बनाने की सारी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आपके विभाग की ओर से छपरा, कटिहार, गया आदि स्थानों पर एक-एक Facilitation Centre की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कि उनका सारा काम वहीं पर हो जाए।
- Reputed गैर-सरकारी संगठनों में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा कैम्प आयोजित कर उनके सदस्यों तथा उनके परिवारवालों के लिये पासपोर्ट आवेदन पत्र, आवेदन फी एवं आवश्यक दस्तावेजों को संग्रहित कर पासपोर्ट निर्गमन की कार्रवाई प्रारम्भ की जानी चाहिए ।
- कुछ-कुछ अन्तराल पर पासपोर्ट कार्यालय में तथा इसके अगल-बगल पुलिस की ओर से सघन जाँच की जानी चाहिए जिससे कि अवांछित तत्व दूर -दराज से आने वाले लोगों को भ्रमित कर उन्हें बेवजह परेशान नहीं कर सकें।
- जब-तक आरोप साबित नहीं हो या अभियोग गठित (Charge Frame) न्यायालय में Submit नहीं किया गया हो तब-तक केवल इस आधार पर की आप पर आपराधिक मुकदमें हैं, पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि व्यवसाय के क्रम में व्यवसायियों पर झूठे मुकदमें भी दायर किये जाते हैं जिसका निर्णय आने में काफी लम्बा समय लग जाता है। जब-तक न्यायालय द्वारा देश छोड़ने पर प्रतिबंध या अभियोग गठित (Charge frame) नहीं किया जाता है, इसे कम्पलेक्स केस नहीं समझा जाना चाहिए।
- पूर्व में पासपोर्ट कार्यालय में अत्यधिक भीड़ से बचने के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यों को विशेष सुविधा प्रदान करते हेतु वरिष्ठ नागरिक के काउन्टर पर ही व्यवस्था की गयी थी। अत: इस व्यवस्था को चालू रखा जाना चाहिए।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, पटना ने अपने संबोधन में चैम्बर को उन्हें आमंत्रित करने एवं सदस्यों से वार्त्ता करने हेतु धन्यवाद देते हुए बताया कि विदेश सेवा के अधिकारी के रूप में उन्होंने जर्मनी, पाकिस्तान इत्यादि के साथ कई देशों में अपना योगदान दिया है। विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट कार्यालय के कार्यभार में उनका यह अनुभव काफी मददगार रहा। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट सेवा की परेशानियों को काफी हद तक कम किया जा चुका है। पासपोर्ट कार्यालय द्वारा prompt services दी जा रही हैं। पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया गया है। अब जो भी निर्णय लिया जाता है वह आवेदक की उपस्थिति में ही लिया जाता है। यदि आवेदन में किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उससे आवेदनकर्त्ता को साक्षात्कार के समय ही अवगत करा दिया जाता है। पासपोर्ट सेवा राष्ट्रीय स्तर पर e-governance के

संबल के रूप में स्थापित हुई है। पासपोर्ट बनने की प्रक्रिया में पहले आवेदकों को ऑफ लाईन आवेदन जमा करना पड़ता था जो कि अब इन्टरनेट के माध्यम से ऑन लाईन लिया जाता है, इससे जहाँ एक ओर पासपोर्ट निर्गत करने की प्रक्रिया काफी तेज हो गयी है, वहीं विचौलियों की भी समस्या से मुक्ति मिली है। आवेदक इन्टरनेट के माध्यम से आवेदन जमा कर appointment लेकर पासपोर्ट अधिकारियों से मिल सकते हैं। आवेदन के ऑन लाईन जमा करने के साथ ही इसकी प्रति संबंधित एस.एस.पी. के कार्यालय में पुलिस भेरीफिकेशन हेतु ऑन लाईन ही भेज दी जाती है जिससे समय की काफी बचत होती है। उन्होंने माना कि एस.पी. कार्यालय से आवेदन के थाने पहुँचने में अभी समय अवश्य ही लग रहा है। भारत सरकार ने पासपोर्ट एप लांच करने का निर्णय लिया है इससे एस.पी. आफिस और थाने के बीच आवेदन की हार्ड कॉपी के आदान-प्रदान की प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी।

उन्होंने बताया कि मौजूदा पासपोर्ट धारकों को यदि नया पासपोर्ट बनवाना हो तो ज्यादातर ऐसे आवेदनों में पुलिस भेरीफिकेशन की वाध्यता नही होती है। ये वाध्यता तब होती है जब आवेदक का पता अथवा कोई अन्य जानकारी में बदलाव किया गया हो। सरकार ने अपने पिछले नियम जिसके अन्तगर्त दिनांक 26 जनवरी, 1989 के बाद जन्में आवेदनकर्त्ताओं हेतु जन्म प्रमाण पत्र दाखिल करने की बाध्यता को भी निरस्त कर दिया है। अब आवेदक पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ऑई.डी. कार्ड अथवा शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि को पासपोर्ट हेतु अपने जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में दे सकते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि आप बिहार के निवासी हैं और दिल्ली अथवा और जगह नौकरी करते हैं तो आप जहाँ रह रहे हैं वहीं के पते से पासपोर्ट बनवायें इससे पुलिस जाँच में आसानी होती है तथा पासपोर्ट निर्गत करने में समय कम लगता है। उन्होंने आगे बताया कि विदेश मंत्रलय द्वारा स्थापित पासपोर्ट सुविधा केन्द्र की मदद लेकर ऑनलाईन प्रक्रिया से पासपोर्ट का आवेदन जमा किया जा सकता है। हलांकि इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट शुल्क 1500/- के साथ-साथ सुविधा शुल्क 100/- रूपये भी जमा करना पड़ेगा। उन्होंने जानकारी दी कि देश भर में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से 56 पासपोर्ट सेवा केन्द्र की स्थापना होनी है। बिहार में 5 शहरों यथा भागलपुर, दरभंगा, मुजफरपुर तथा पटना में यह केन्द्र कार्यरत हो गये हैं, गोपालगंज में भी एक माह के भीतर ही खुल जाने की संभावना है।

उन्होंने माना कि पुलिस वेरिफिकेशन में आवेदक द्वारा दी जानकारी सही नही मिलने की स्थिति में जो नोटिस भेजी जाती है उसकी भाषा थोड़ी सख्त अवश्य होती है, परन्तु क्योंकि पासपोर्ट से राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ी होती है, अत: इसे उसी परिपेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वर्तमान में पासपोर्ट आवेदनों में अंग्रेजी भाषा का अधिक उपयोग हो रहा है। इसे द्वीभाषीय करने की आवश्यकता है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने घोषणा की यदि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की इच्छा हो तो आपसी सहमति से किसी रविवार या अन्य दिन को चैम्बर प्रांगण में पासपोर्ट हेतु स्पेशल कैम्प के आयोजन की व्यवस्था पासपोर्ट कार्यालय द्वारा की जा सकती है। जिससे चैम्बर के सदस्यों को सहुलियत मिलेगी।

उन्होंने जानकारी दी कि भारत सरकार द्वारा जल्द ही ऐसा निर्देश दिये जाने की संभावना है कि पुलिस वेरिफिकेशन हेतु वर्तमान 35 दिनों की अवधि को घटाकर 21 दिन कर दिया जाये।

चैम्बर के सदस्यों जिनमें श्री संजय भरतीया, श्री सुबोध जैन, श्री किशोर कुमार अग्रवाल, श्री उत्पल सेन, श्री सुनील सर्राफ इत्यादि शामिल थे, ने प्रश्नकाल के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के समक्ष अपने सुझाव/समस्यायें रखी जिनका संतोषजनक जबाव पासपोर्ट अधिकारी द्वारा दिया गया।

इस बैठक में उपर्युक्त के अतिरिक्त चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, श्री सांवल राम डूोलिया, श्री पवन भगत, श्री सच्चिदानंद, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री मनोज आनंद के साथ-साथ बड़ी संख्या में चैम्बर सदस्य उपस्थित थे।

महामंत्री श्री शशि मोहन के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक समाप्त हुई।

कंकड़बाग में खुला पार्क एवेन्यू को शो रूम

''पार्क एवेन्यू'' के एक्सक्लूसिव शोरूम का उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं अन्य।

कंकड़बाग में पार्क एवेन्यू का शोरूम खुला है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने फीता काटकर शोरूम का उदघाटन किया।

इस अवसर पर कम्पनी के रीजनल प्रमुख गौरव प्रताप सिंह मौजूद रहे। संचालक मुरलीधर कानोडिया और नवनीत कानोडिया ने बताया कि शोरूम में शर्ट, ट्रोजर्स, वेडिंग, फॉर्मल सूट की विस्तृत रेंज उपलब्ध रहेगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 25.4.2017)

(बिहार में पार्क एवेन्यु का पहला शो रूम कंकड़बाग मेन रोड, पटना में खुला है।)

नयी बिजली दरें 01 अप्रैल 2017 से लागू
सीएम ने किया सब्सिडी का एलान

गाँव में रु 3.35 और शहर में रु 5 प्रति यूनिट बिजली

राज्य में लागू नयी बिजली दरों की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बिजली की नयी दर 3.35 रुपये प्रति यूनिट होगी, जबकि शहरी उपभोक्ताओं को घरेलू उपयोग के लिए प्रति यूनिट पाँच रुपये की दर से भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली की ये दरें सरकार द्वारा दी जानेवाली सब्सिडी के बाद निर्धारित की गयी हैं। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को 3.10 रुपये प्रति यूनिट, तो शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 1.48 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी देगी। मालूम हो कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने 24 मार्च को बिना सब्सिडी के बिजली दरों का एलान किया था, जिसमें औसतन 55% का इजाफा किया गया था। इसके बाद उसी दिन देर शाम मुख्यमंत्री की ओर से सब्सिडी जारी रखने का एलान किया गया था। अब सब्सिडी के एलान के बाद बिजली दरों में मात्र 20 फीसदी वृद्धि होगी।

बिजली दरों का ब्योरा (रु/ यूनिट)

श्रेणी	कुल टैरिफ	सब्सिडी	वास्तविक देय	प. बंगाल	यूपी
कुटीर ज्योति	6.08	3.58	2.50	3.44	3.17
घरेलू 1 (ग्रामीण)	6.45	3.10	3.35	4.17	3.35
घरेलू 2 (शहरी)	6.48	1.48	5.00	5.02	5.28
गैर घरेलू 1 (ग्रामीण)	6.83	2.50	4.33	6.86	4.43
गैर घरेलू 2 (शहरी)	8.02	0.40	7.62	6.48	8.24
कृषि एवं सिंचाई 1	5.79	4.29	1.50	4.07	1.50
नि वि औद्योगिक सेवा 1	8.59	0.25	8.34	8.39	7.86
नि वि औद्योगिक सेवा 2	8.62	0.28	8.34	8.39	7.86
उ वि औद्योगिक सेवा 1	8.69	0.20	8.49	10.15	7.48
उ वि औद्योगिक सेवा 2	8.69	0.35	8.34	9.15	7.48
उ वि औद्योगिक सेवा 3	8.02	0.40	7.62	8.45	7.48
उ वि औद्योगिक सेवा 4	7.97	0.50	7.47	--	7.48

बिहार को तमिलनाडु से भी महंगी मिल रही बिजली मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद में केन्द्र की पावर जेनरेशन कंपनियों पर आरोप लगाया है कि बिहार को ऊँची दर में बिजली दी जाती है, जबकि तमिलनाडु को कम दर पर बिजली मिल रही है। उन्होंने मांग की कि केन्द्र की पावर जेनरेशन कंपनियां देश भर में सभी राज्यों को एक दर पर बिजली उपलब्ध कराएं। बिहार में एनटीपीसी प्रति यूनिट 4.80 रुपये की दर से बिजली देता है, जबकि राज्य सरकार बाहर से बिजली खरीदती है, तो सिर्फ तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से देना होता है। इसलिए अगर ये कंपनियाँ समान दर पर बिजली उपलब्ध नहीं कराती हैं, तो केन्द्र को बाजार दर पर ही बिजली बिहार को उपलन्ध करानी चाहिए, इससे सारी समस्याओं का निदान हो जायगा।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 1.4.2017)

आयकर रिटर्न में दो लाख से अधिक जमा बताएँ

नोटबंदी के बाद दो लाख रुपये या अधिक की जमाएं करने वाले करदाताओं को इसका खुलासा नए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म में करना होगा। कर विभाग ने यह आईटीआर फॉर्म अधिसूचित किया।

वेतन, मकान, संपत्ति या अर्जित ब्याज से कुछ मिलाकर 50 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को इसके बारे में सूचना नए एक पन्ने के आईटीआर 1 सहज में जानकारी देनी होगी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म अधिसूचित किए हैं।

यहाँ दो लाख से अधिक की जमा बताएं : आईटीआर-1 फॉर्म के कॉलम पार्ट-ई में नोटबंदी की अवधि के दौरान जमाओं की जानकारी देनी होगी। इसमें कहा गया है कि क्या 9 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 के दौरान कुल नकदी जमा दो लाख रुपये या इससे अधिक रहीं। आईटीआर 2ए फॉर्म खत्म कर दिया है, जिसका प्रयोग व्यक्ति तथा एचयूएफ करते थे।

ई-फाइलिंग भी शुरू : आईटीआर-1 के लिए ई- फाइलिंग की सुविधा 1 अप्रैल से चालू होगी और आईटीआर निर्धारित समय सीमा 31 जुलाई तक भरा जा सकता है।

आधार कार्ड जरूरी : विभाग ने आधार नंबर भी अनिवार्य कर दिया है। आधार नंबर नहीं होने पर 28 अंक का आधार नामांकन देना होगा।

रिटर्न भरते समय ये दस्तावेज पास में रखें : पैन कार्ड, आधार, निजी सूचना और कर भुगतान के संदर्भ में सूचना जरूर पास में रखें। हालांकि टीडीएस के बारे में फॉर्म में स्वयं जानकारी आ जाएगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 1.4.2017)

पैकेट पर जरूरी जानकारी बड़े अक्षरों में अप्रैल से

कंपनियों को 1 अप्रैल 2017 से उपभोक्ता वस्तुओं के पैकेटों पर मूल्य, समाप्ति तिथि और उसमें उपयोग सामग्री जैसी जरूरी जानकारियाँ बड़े-बड़े अक्षरों में प्रकाशित करनी होगी। केन्द्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय का इस आशय का आदेश 1अप्रैल 2017 से लागू हो जाएगा।

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने पैकेट बंद उपभोक्ता वस्तुओं के पैकेजिंग संबंधी नियम 2011 के तहत पैकेट पर जरूरी जानकारी स्पष्ट तौर पर प्रकाशित करने के लिए पिछले साल आदेश दिया था। इसे लागू करने से पहले सरकार ने कंपनियों को पुराना स्टॉक निकालने के लिए छह महीने का समय दिया था। उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक बी. एन. दीक्षित ने बताया कि सरकार ने 31 मार्च 2017 की इस समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया है, इसलिए आदेश 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा।

सख्ती : • 2 से 4 मिलीमीटर आकार के फॉन्ट में जानकारी होगी 200 से 400 ग्राम या मि. ली. के पैकेट पर • 8 मिलीमीटर आकार के फॉन्ट में होगी 500 ग्राम के पैकेट पर प्रमुख जानकारी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 1.4.2017)**

डेयरी, पॉल्ट्री के लिए मिलेगा आसान लोन

राज्य के सीमांत व लघु किसानों को भी डेयरी उद्योग, पॉल्ट्री और गोपालन के लिए आसान लोन मिल सकेगा। यह कर्ज उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिलेगा।

सूत्रों के मुताबिक केन्द्र के कृषि एवं किसान मंत्रालय के अधीन पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन विभाग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस योजना को सभी जिलों में कार्यान्वित करने को कहा है। मंत्रालय के सचिव देवेन्द्र चौधरी ने पशुपालन निदेशक को इस संबंध में पशुपालकों से आवेदन लेने का निर्देश भी दिया है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 3.4.2017)**

अंडा उत्पादन में बिहार को आत्मनिर्भर बनाएगा बैंक

मध्य बिहार ग्रामीण बैंक अंडा उत्पादन में बिहार को आत्मनिर्भर बनाएगा। बैंक सूबे के 11 जिलों के 1100 लोगों को अंडा उत्पादन यूनिट लगाने के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराएगा।

अंडा प्रचुरता अभियान के तहत बैंक की ओर से पटना, भोजपुर, गया, रोहतास, कैमूर, बिहारशरीफ, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, बक्सर के लोगों को अंडों के लेयर फार्मिंग यूनिट लगाने के लिए ऋण दिया जाएगा। बैंक के चेयरमैन ए. के. भाटिया ने बताया कि अंडा उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर बनने के साथ ही दूसरे राज्यों को निर्यात कर सकता है। बैंक के महाप्रबंधक हर्ष चोपड़ा ने बताया कि अंडा प्रचुरता अभियान में बिहार विद्यापीठ व नाबार्ड भी सहयोग कर रहे हैं। बिहार विद्यापीठ ट्रेनिंग, फैसिलिटेशन व मार्केटिंग में सहयोग करेगा।

बैंक के लोन डिपार्टमेंट के वरीय प्रबंधक विकास कुमार ने बताया कि अभी बिहार में रोजाना 2.80 करोड़ अंडे की जरूरत होती है। लेकिन सूबे में रोजाना 20 लाख ही इसका उत्पादन हो पा रहा है। पाँच हजार अंड़ा प्रतिदिन उत्पादन करने वाले प्रत्येक यूनिट को 40 लाख तक का लोन दिया जाएगा। ऐसे में बैंक 1100 लोगों को 440 करोड़ के लोन उपलब्ध कराएगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 13.4.17)**

पैन को आधार से जोड़ने के लिए स्कैन, ओटीपी सुविधा

लोगों को अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार संख्या से जोड़ने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी प्रमुख वजह नाम की वर्तनी अलग-अलग होना है। अब इस प्रणाली को सरल बना दिया गया है। अब आपको इसके लिए सिर्फ अपने पैन कार्ड की एक स्कैन प्रति देनी होगी। एक अधिकारी ने बताया कि कर- विभाग इस संबंध में ऑनलाइन विकल्प देने की भी योजना बना रहा है। वह अपने ई- फाइलिंग पोर्टल पर करदाताओं को आधार जोड़ने का विकल्प देगा। इस विकल्प में उन्हें बिना अपना नाम बदले ओटीपी का विकल्प चुनना होगा। इस विकल्प का चुनाव करने के लिए उन्हें अपने दोनों दस्तावेजों में उल्लेखित जन्मतिथि उपलब्ध करानी होगी और उनके मिलान पर वह ऑनलाइन आधार से पैन को जोड़ सकेंगे। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 10.4.2017)**

30 जून तक बैंकों में पैन दर्ज कराएं

आयकर विभाग ने बैंकों को अपने सभी खाताधारकों से पैन नंबर लेने के लिए तीन महीने का समय और दिया है। बैंक अब 30 जून तक अपने ग्राहकों से उनके पैन या फार्म 60 ले सकते हैं। विभाग ने पहले 28 फरवरी की समय सीमा तय की थी। लेकिन कर विभाग ने 5 अप्रैल को इस समय सीमा को 30 जून तक बढाने की धोषणा की। **(साभार : हिन्दुस्तान, 8.4.2017)**

नई कंपनियों को एक दिन में पैन व टैन नंबर

अगर आप कोई नयी कंपनी शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको एक दिन के भीतर ही पैन नंबर मिल जाएगा। कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया आसान बनाते हुए आयकर विभाग अब एक दिन में पैन नंबर जारी कर रहा है। 31 मार्च, 2017 तक 19, 704 नई कंपनियों को एक दिन में पैन नंबर जारी किये भी जा चुके हैं। खास बात यह है कि आयकर विभाग ने ई-पैन (इलेक्ट्रॉनिक पैन) के रूप में एक नई पहल की है जिसके तहत कंपनियों और व्यक्तियों को ईमेल के माध्यम से पैन नंबर भेजा जा रहा है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार आवेदक को डिजिटल हस्ताक्षर वाला ई-पैन जारी किया जाएगा जो डिजिलॉकडॉटजीओवीडॉटइन पर स्टोर होगा। वह व्यक्ति किसी भी अन्य एजेंसी के पास अपनी पहचान के सबूत के तौर पर इसका इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयोग कर सकेगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 12.4.2017)**

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 2017-18 के लिए विद्युत बिक्री की नई दर निर्धारित की गई है। उक्त दर में बिहार सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों में प्रति यूनिट अनुदान की घोषणा की गई है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा श्रेणीवार प्रति यूनिट घोषित दर, राज्य सरकार द्वारा श्रेणीवार प्रति यूनिट घोषित अनुदान एवं अनुदान उपरान्त उपभोक्ताओं को श्रेणीवार प्रति यूनिट देय दर निम्नवत है।

क्रमांक	उपभोक्ता की श्रेणी/उपश्रेणी		आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए (बिहार सरकार का अनुदान छोड़कर)		बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि	सरकार द्वारा दी गई अनुदान के बाद टैरिफ दर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए	
		यूनिटस्लैब	स्थिर शुल्क	ऊर्जा शुल्क	विद्युत शुल्क के विरूद्ध (रू0 प्रति यूनिट)	स्थिर शुल्क	ऊर्जा शुल्क
A	निम्न विभव आपूर्ति						
1	घरेलू सेवा			रू0 प्रति यूनिट	रू0 प्रति यूनिट		रू0 प्रति यूनिट
1.1	कुटीर ज्योति-बीपीएल (मीटररहित)		रू. 350/कनेक्शन/माह		111/कनेक्शन/माह	रू. 239/कनेक्शन/माह	
1.2	कुटीर ज्योति-बीपीएल (मीटरकृत)	0-50	रू. 10/कनेक्शन/माह	5.75	3.58	रू. 10/कनेक्शन/माह	2.17
		50 यूनिट के ऊपर		शेष यूनिट के लिए घरेलू सेवा-I (मीटरीकृत) के लिए लागू दर।			शेष यूनिट के लिए घरेलू सेवा-I (नीटरीकृत) के लिए लागू दर।
1.3	घरेलू सेवा-I ग्रामीण (मीटररहित)		रू. 500/कनेक्शन/माह	–	रू. 232.5/कनेक्शन/माह	रू. 267.5 /कनेक्शन/माह	
1.4	घरेलू सेवा-I ग्रामीण (मीटरकृत)	0-50	रू0 20/किलोवाट या उसके अंश पर/माह	5.75	3.10	रू0 20/किलोवाट या उसके अंश पर/माह	2.65
		51-100		6.00			2.90
		100 यूनिट के ऊपर		6.25			3.15
1.5	घरेलू सेवा-II शहरी (मांग आधारित)	1-100	रू0 40/किलोवाट या उसके अंश पर/माह	5.75	1.48	रू0 40/किलोवाट या उसके अंश पर/माह	4.27
		101-200		6.50			5.02
		201-300		7.25			5.77
		300 यूनिट के ऊपर		8.00			6.52
2	गैर घरेलू सेवा			रू0 प्रति यूनिट			रू0 प्रति यूनिट
2.1	गैर घरेलू सेवा-I, ग्रामीण (मीटररहित)		रू. 550/कनेक्शन/माह	–	रू. 105/कनेक्शन/माह	रू. 445/कनेक्शन/माह	
2.2	गैर घरेलू सेवा-I, ग्रामीण (मीटरकृत)	1-100	रू0 30/किलोवाट या उसके अंश पर/माह	6.00	2.50	रू0 30/किलोवाट या उसके अंश पर/माह	3.50
		101-200		6.50			4.00
		200 यूनिट के ऊपर		7.00			4.50
	गैर घरेलू सेवा- II (मांग आधारित)						
2.3	गैर घरेलू सेवा- II संविदामांग 0.5 किलोवाट तक	सभी यूनिट	रू. 100/कनेक्शन/माह	6.00	0.40	रू. 100/कनेक्शन/माह	5.60
2.4	गैर घरेलू सेवा- II संविदामांग 0.5 किलोवाट से ऊपर	1-100	रू0 180/किलोवाट या उसके अंश पर/माह	6.00	0.40	रू0 180/किलोवाट या उसके अंश पर/माह	5.60
		101-200		6.50			6.10
		200 यूनिट के ऊपर		7.00			6.60
3	सिंचाई और कृषि के लिए (कनेक्टेड लोड आधारित)			रू0 प्रति यूनिट			रू0 प्रति यूनिट
3.1	आई0ए0एस0-I (मीटररहित)		रू0 800/एच0पी0 या उसके अंश पर/माह		रू0 632/एच0पी0 या उसके अंश पर/माह	रू0 168/एच0पी0 या उसके अंश पर/माह	
3.2	आई0ए0एस0-I (मीटरकृत)	सभी यूनिट	रू0 30/एच0पी0 या उसके अंश पर/माह	5.25	4.29	रू0 30/एच0पी0 या उसके अंश पर/माह	0.96
3.3	आई0ए0एस0- II(मीटररहित)		रू0 2100/एच0पी0 या उसके अंश पर/माह			रू0 2100/एच0पी0 या उसके अंश पर/माह	
3.4	आई0ए0एस0- II (मीटरकृत)	सभी यूनिट	रू0 200/एच0पी0 या उसके अंश पर/माह	6.20	–	रू0 200/एच0पी0 या उसके अंश पर/माह	6.20
4	निम्न विभव औद्योगिक आपूर्ति (मांग आधारित, केभीएएच)			रू0 प्रति के0भी0ए0एच0			रू0 प्रति के0भी0ए0एच0
4.1	निम्न विभव औद्योगिक आपूर्ति-I संविदा माँग 19 किलोवाट तक	सभी यूनिट	रू0 160/किलोवाट या उसके अंश पर/माह	6.05	0.25	रू0 160/किलोवाट या उसके अंश पर/माह	5.77
4.2	निम्न विभव औद्योगिक आपूर्ति-II(संविदामांग 19 किलोवाट से अधिक एवं 74 कि0वा0 तक)	सभी यूनिट	रू0 200/किलोवाट या उसके अंश पर/माह	6.05	0.28	रू0 200/किलोवाट या उसके अंश पर/माह	5.74
5	पब्लिक वाटर वर्क्स (मांग आधारित, केभीएएच)	सभी यूनिट		रू0 प्रति के0भी0ए0 एच0			रू0 प्रति के0भी0ए0 एच0
5.1	पब्लिक वाटर वर्क्स	सभी यूनिट	रू0 350/किलोवाट या उसके अंश पर/माह	7.50	–	रू0 350/किलोवाट या उसके अंश पर/माह	7.50
6	स्ट्रीट लाईट सेवा			रू0 प्रति यूनिट			रू0 प्रति यूनिट
6.1	स्ट्रीट लाईट (मीटरकृत) मांग आधारित	सभी यूनिट	रू0 50/किलोवाट या उसके अंश पर/माह	7.00	0.00	रू0 50/किलोवाट या उसके अंश पर/माह	7.00
6.2	स्ट्रीट लाईट सेवा (मीटररहित)		रू0 375/100 वाट या उसके अंश पर/माह			रू0 375/100 वाट या उसके अंशपर/माह	
B	उच्च विभव आपूर्ति			रू0 प्रति केभीएएच			रू0 प्रति केभीएएच
1	एच0टी0एस0-I (11 के0भी0)	सभी यूनिट	रू0 300/केभीए/माह	6.20	0.20	रू0 300/केभीए/माह	5.98
2	एच0टी0एस0-II (33 के0भी0)	सभी यूनिट	रू0 300/केभीए/माह	6.15	0.35	रू0 300/केभीए/माह	5.76
3	एच0टी0एस0-III (132 के0भी0)	सभी यूनिट	रू0 300/केभीए/माह	6.10	0.40	रू0 300/केभीए/माह	5.66
4	एच0टी0एस0-IV (220 के0भी0)	सभी यूनिट	रू0 300/केभीए/माह	6.05	0.50	रू0 300/केभीए/माह	5.49
5	एच0टी0एस0एस0 (33/11 के0भी0)	सभी यूनिट	रू0 700/केभीए/माह	3.70	0.30	रू0 700/केभीए/माह	3.37
6	रेलकर्षण(132के0भी0)	सभी यूनिट	रू0 280/केभीए/माह	6.35	–	रू0 280/केभीए/माह	6.35

बिजली बिल जमा करना हुआ आसान

1. डेबिट/क्रेडिट कार्ड एवं Internet Banking के माध्यम से www.sbpdcl.co.in / www.nbpdcl.co.in पर जा कर भुगतान कर सकते हैं।
2. SBPDLC Bill Payment APP/NBPDCL-Electricity Bill APP (Google Play Store) के माध्यम से मोबाईल द्वारा भुगतान कर सकते हैं।

नोट : ऑनलाईन माध्यम से देय तिथि के पहले भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को 2.5% लाभ दिया जाएगा।

उपभोक्ता सुविधा टॉल फ्री नं.- 1912

(साभार : दैनिक जागरण, 18.4.2017)

बिना रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगी माल ढुलाई

• जीएसटी के तहत माल ढुलाई के लिए लेना होगा ई-वे बिल •सीबीईसी ने सामान के परिवहन की खातिर तैयार किया इस संबंध में प्रस्ताव

जीएसटी लागू होने के बाद 50,000 रुपए से ज्यादा मूल्य वाले माल की दुलाई करने के लिए इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद 'ई- वे बिल' मिलेगा, टैक्स चोरी रोकने के लिए कर अधिकारी माल के परिवहन के दौरान रास्ते में कहीं भी इसकी जांच कर सकेंगे। इन सामानों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अधिकतभ 15 दिन का समय दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था से ट्रांसपोर्टरों को खासतौर पर राहत मिलेगी। सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को इस साल पहली जुलाई से लागू करने का लक्ष्य तय किया है।

जारी किए नियम : केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने इस संबंध में नियम जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि 50 हजार रुपए से ज्यादा की बिक्री उसको एक से दूसरी जगह ले जाने से पहले कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक वे यानी ई-वे बिल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) बेबसाइट पर पंजीकरण के बिना राज्य के भीतर और बाहर सामान ले जाने पर रोक रहेगी।

15 दिन का मिलेगा समय : जीएसटीएन पर ई-वे बिल एक से लेक 15 दिनों के लिए मिलेगा। यह समय इस आधार पर दिया जाएगा कि माल को कितनी दूरी तक ले जाना है। सौ किलोमीटर तक की दूरी के लिए एक दिन का समय मिलेगा। अगर सामान को 1,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर ले जाना है तो 15 दिन का समय दिया जाएगा। ड्राफ्ट नियमों के अनुसार ट्रांसपोर्टर या माल ढुलाई करने वाले व्यक्ति को रसीद या सप्लाई बिल अथवा डिलीवरी चालान के साथ ही ई-वे बिल की कॉपी या इसका नंबर साथ में रखना होगा। इसे या तो बिल के रूप में रखा जाएगा या वाहन में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस लगा होने पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखा सकता है।

देनी होंगी जानकारियाँ : इन ई-वे बिल में खुद जाँच करने की व्यवस्था भी होगी जहाँ पंजीकृत सप्लायर को पहले ही सरकार को परिवहन किए जा रहे सामान की लोकेशन बतानी होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि कंसाइनर को ई-वे बिल के लिए रजिस्ट्रेशन कराते वक्त सामान भेजने और पाने वाले का नाम व पता देना होगा।

इसके अलावा उसे माल का ब्योरा, इसकी कीमत और वजन की जानकारी भी देनी होगी। **(साभार : आई नेक्स्ट, 15.4.2017)**

जीएसटी के तहत बनेगा ग्राहक कल्याण कोष

केन्द्रीय जीएसटी कानून में है इसकी स्थापना का प्रावधान, ग्राहकों के हित में काम करने वाले संगठनों को मिलेगा अनुदान

बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने पर ग्राहकों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कोई भी कारोबारी या सेवा प्रदाता ग्राहकों के हितों को नुकसान न पहुँचा सके, इसके लिए सरकार विशेष उपाय करने जा रही है। सरकार एक जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद एक 'ग्राहक कल्याण कोष' स्थापित करेगी। इस कोष से महिलाओं, आदिवासियों और दलितों के उन संगठनों को अनुदान मिलेगा, जो ग्राहकों के हित में काम कर रहे हैं। साथ ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए काम करने वाले सामान्य संगठन और केन्द्र व राज्य सरकारों के विभाग भी इस कोष से अनुदान प्राप्त कर सकेंगे।

केन्द्रीय जीएसटी कानून, 2017 की धारा 57 के तहत ग्राहक कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। इस कानून की धारा 58 में कोष के उपयोग के बारे में प्रावधान किए गए हैं। जीएसटी का उचित अधिकारी जब यह निश्चित कर ले कि रिफंड की राशि का भुगतान असेसी को नहीं किया जा सकता, तब वह इस रकम को ग्राहक कल्याण कोष में ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर सकता है।

समिति करेगी इस्तेमाल का फैसला : सरकार ने जीएसटी के रिफंड संबंधी जिन नियमों का मसौदा तैयार किया है, उसमें इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश तय किए गए हैं। नियमों यह भी बताया गया है कि इस कोष का इस्तेमाल किस तरह किया जाए। यह फैसला करने के लिए एक स्थायी समिति बनाई जाएगी। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव होगा। साथ ही इसमें कुछ सदस्य भी होंगे। यह समिति उन उपायों की सिफारिश करेगी जिनके जरिये ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए इस कोष का इस्तेमाल किया जा सकेगा। समिति को तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करनी होगी। खास बात यह है कि महिलाओं, आदिवासियों और दलितों द्वारा संचालित ग्राहकों की सहकारी समितियों, गाँव और मंडल स्तर की समितियों को इस कोष से अनुदान मिल सकेगा। इसके अलावा केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें भी इस कोष से अनुदान प्राप्त कर सकेंगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 16.4.2017)**

जीएसटी पर जन जागरूकता अभियान चलाएगी सरकार

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की तारीख निकट आते देख सरकार ने भी इस नए टैक्स के बारे में आम लोगों व कारोबारियों को जागरूक करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए अपने सभी 23 जोन को एक-एक करोड़ रुपये दिए हैं। सभी जोन इस धनराशि का इस्तेमाल जीएसटी के प्रचार-प्रसार के लिए करेंगे। सीबीईसी प्रमुख वनजा एन सरना ने सभी जोन के अधिकारियों को जीएसटी के पंजीकरण, उसके फायदे और नियमों के पालन के संबंध में जानकारी लोगों तक पहुँचाने को कहा है। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को सामान्य व्यय के लिए आवंटित बजट से एक करोड़ रुपये तक की राशि खर्च करने को भी कहा है। इस धनराशि का उपयोग कारोबारियों को जीएसटी कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए किया जाएगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 16.4.2017)

जीएसटी में एक पैन नंबर पर एक टीन नंबर ही मान्य

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में एक पैन नंबर पर एक ही टीन नंबर मान्य होगा। जीएसटी में निबंधन को लेकर व्यवसायियों को अलग-अलग टीन नंबरों में से किसी एक का चयन करना होगा।

वाणिज्य-कर विभाग के अपर सचिव अरुण कुमार मिश्र के अनुसार जो व्यवसायी, डीलर या उद्यमी जीएसटी निबंधन आवेदन ऑनलाइन भर चुके हैं और उनको निबंधन कोड नहीं मिला है वे जल्द से जल्द अपने एक पैन नंबर पर एक मनपसंद टीन नंबर की सूचना विभाग को उपलब्ध करा दें। जैसे ही उद्यमी इसकी सूचना देंगे उनका आवेदन स्वीकृत हो जाएगा। राज्य में 11 हजार डीलर के पास एक पैन पर कई टीन नंबर थे। विभाग ने ऐसे सभी डीलरों को पत्र लिखकर उन्हें जल्द एक टीन नंबर देने का अनुरोध किया है। अब करीब दो हजार डीलरों के पास ही एक पैन नंबर पर एक से अधिक टीन नंबर शेष रह गए हैं। सूत्रों ने बताया कि राज्य में वाणिज्यकर विभाग से निबंधित करीब एक लाख सात हजार उद्यमियों ने जीएसटी के तहत निबंधन करा लिया है। 24 को राज्य जीएसटी विधेयक पारित कराने को लेकर विधानसभा की विशेष बैठक बुलाई गई है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 16.4.2017)**

पहले सेवाओं और फिर वस्तुओं पर तय होंगी दरें

सेवाओं पर जीएसटी की दरें क्या होंगी, यह तय करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्यों और केन्द्र के राजस्व अधिकारी सेवाओं पर जीएसटी की दर तय करने को अपनी पहली बैठक करने जा रहे हैं। कौन सी सेवा किस दर के दायरे में आएगी, इसका निर्धारण केन्द्र और राज्यों के टैक्स अधिकारियों को ही करना है। सरकार का लक्ष्य इस साल पहली जुलाई से जीएसटी को लागू करने का है।

चार स्लैब हो चुकीं फिक्स : इससे पहले जीएसटी काउंसिल चार मूल दरों का निर्धारण पहले ही कर चुकी है। 5, 12, 18, और 28 परसेंट में बंटी इन चार दरों में ही विभिन्न सेवाओं को रखा जाना है। इसके निर्धारण के लिए बनी फिटमेंट कमेटी की पहली बैठक इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी, इस समिति के समझ सबसे बड़ी चुनौती दरें तय करते समय उनका महंगाई संबंधी असर (मुद्रास्फीतिक प्रभाव) शून्य रखने पर होगा। कमेटी की कोशिश होगी कि सेवाओं को विभिन्न दरों के दायरे में इस तरह शामिल किया जाए, जिससे उनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हो।

मई में फाइनल मीटिंग : वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक

18-19 मई को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले फिटमेंट कमेटी को विभिन्न सेवाओं की दरों को अंतिम रूप देना है। इसलिए समिति को जो भी तय करना है, काउंसिल की बैठक से पहले ही करना है। चूंकि, केन्द्र सरकार विभिन्न सेवाओं पर पहले से ही सर्विस टैक्स का निर्धारण करती रही है, इसलिए कमेटी के लिए विभिन्न दरों के लिए सेवाओं का चयन करना अपेक्षाकृत आसान होगा।

सर्विस टैक्स, वैट दोनों लागू : • मौजूदा समय में कुछ सेवाओं पर सर्विस टैक्स व वैट दोनों ही प्रभावी हैं • ऐसी सभी सेवाएँ आसानी से 18 परसेंट के टैक्स दायरे में फिट हो सकती हैं, लेकिन जिन पर केवल 12.5 परसेंट सेवा कर लागू है, वे 12 परसेंट जीएसटी के दायरे में शामिल हो सकती हैं • अफसरों का मानना है कि एक बार सेवाओं पर जीएसटी दरों को अंतिम रूप दे दिया जाता है तो कमेटी एक पखवाड़े बाद फिर से बैठक करेगी • इस बैठक में वस्तुओं पर लगने वाली जीएसटी दरों को अंतिम रूप दिया जाएगा। ये दोनों काम 18-19 मई को श्रीनगर में होने वाली बैठक से पहले हो जाएगा • फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल मई में होने वाली मीटिंग में दरों पर विचार करेगी और जून तक इन्हें फाइनल कर दिया जाएगा • राजस्व सचिव हसमुख अधिया पहले ही कह चुके हैं कि केन्द्र काउंसिल में इस बात के पक्ष में है कि जो सेवाएं अभी सेवा कर के दायरे से बाहर हैं, उन्हें फिलहाल जीएसटी में शामिल नहीं किया जाए • ऐसी करीब 60 सर्विसेज हैं, जो सर्विस टैक्स के दायरे में अभी शामिल नहीं हैं। इनमें धार्मिक यात्राएं, हेल्थकेयर, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट जैसी सेवाएं आती हैं। **(साभार : आइनेक्स्ट, 17.4.2017)**

वाणिज्य कर से आय में 1100 करोड़ का इजाफा

वाणिज्य कर से वित्तीय वर्ष 2016-2017 में राज्य सरकार को करीब 18 हजार 500 करोड़ की आय हुई। यह राशि पिछले वर्ष 2015-16 में प्राप्त आय से 1100 करोड़ अधिक है। वित्तीय वर्ष 2016-17 को समाप्त हो गया।

अंतिम दिन तक विभाग को 18 हजार 500 करोड़ आय की सूचना प्राप्त हो गई थी। पूरी रिपोर्ट आने के बाद इसमें थोड़ी और वृद्धि हो सकती है। गौरतलब हो कि 2016-17 वित्तीय वर्ष की शुरूआत में ही राज्य में शराबबंदी लागू हुई। 2015-16 में शराब से इस विभाग को 1200 करोड़ से अधिक का कर मिला था, जो इस साल शून्य रहा। विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि आय में कभी नहीं हो। कर वसूली में कोई लापरवही नहीं होनी चाहिए। इसी बीच नवम्बर, 2016 में देश में नोटबंदी लागू हुई। इसका बड़ा असर दिसम्बर और जनवरी महीने में वाणिज्य कर पर पड़ा। हालांकि बाद के महीनों में वाणिज्य कर में इजाफा हुआ।

2015-16 में 17 हजार 375 करोड़ मिले थे : वर्ष 2015-16 में 17 हजार 375 और 2014-15 में 13 हजार 759 करोड़ की आय वाणिज्य कर से राज्य को हुई थी। अन्य स्त्रोतों से होनी वाली आय का ब्योरा वित्त विभाग के पास दो-तीन दिनों में आ जाएगा। इसके बाद विभिन्न मदों में राज्य सरकार को कितनी आमदनी अपने स्रोत से हुई, इसकी जानकारी होगी। राज्य को करीब 70 फीसदी आय वाणिज्य कर से ही होती है।

83 हजार करोड़ राशि खर्च : राज्य सरकार के कुल विभागों ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के योजना में 60 हजार करोड़ से अधिक राशि खर्च कर दी है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन शाम तक मिली रिपोर्ट में योजना के कुल बजट 71 हजार 501 करोड़ में 60 हजार करोड़ खर्च हुए। खर्च का प्रतिशत करीब 83 है। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद खर्च के आंकड़े में थोड़ी वृद्धि हो सकती है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 1.4.2017)

दो बंद चीनी मिलों में सीमेंट फैक्ट्री का प्रस्ताव : मंत्री

राज्य के दो बंद चीनी मिलों में सीमेंट फैक्ट्री खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार को मिला है। गोरौल और वारिसलीगंज की चीनी मिलों के लिए ये दोनों प्रस्ताव हैं। इस बार राज्य में 571 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई। इससे 25 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ, जो पिछले साल से 22 हजार टन से अधिक है। बंद मिलों के कर्मियों के बकाया भुगतान के लिए राज्य सरकार ने लगभग 70 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

पत्रकार वार्ता में गन्ना उद्योग मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने कहा कि राज्य सरकार ने बंद चीनी मिलों के उपयोग के लिए पाँच बार टेंडर किया। अब तक दो प्रस्ताव मिले हैं। उनपर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि पहली बार गन्ना उद्योग विभाग ने अपने बजट का 96.19 प्रतिशत पैसा खर्च कर दिया।

(साभार : हिन्दुस्तान, 1.4.2017)

5 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी गैर-जमानती अपराध

जीएसटी में 5 करोड़ रु से ज्यादा की कर चोरी गैर-जमानती अपराध होगा। ऐसे मामलों में पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है। पुलिस कोर्ट की इजाजत के बगैर जाँच भी शुरू कर सकती है। सेंट्रल जीएसटी एक्ट में इसमें तीन तरह के अपराध शामिल किए गए हैं- कर चोरी, गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना और गलत तरीके से रिफंड लेना। अगर इनमें से कोई भी मामला 5 करोड़ रु से अधिक है तो उसे संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना जाएगा। एक्ट के अनुसार बाकी अपराध संज्ञेय नहीं होंगे। उन्हें जमानती भी माना जाएगा। ऐसे मामलों में पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। जांच के लिए भी कोर्ट के आदेश की जरूरत होगी। जीएसटी अफसर के समन भेजने पर भी अगर कोई हाजिर नहीं होता है तो उस पर 25,000 रु. जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि समन को 'आखिरी उपाय' के तौर पर रखा गया है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 03.4.2017)**

ऑटो क्षेत्र पर पड़ेगी जीएसटी की मार

हाल में ईंधन उत्सर्जन मानक बीएस-3 से बीएस-4 में जाने की वजह से ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर पड़ी मार के बाद उसे एक और झटका लगने वाला है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की प्रस्तावित नई कर व्यवस्था में एक्सचेंज ऑफर का विकल्प अपनाने वाले और पुरानी कारें खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर कर का भार बढ़ सकता है। इससे इस्तेमाल किए गए वाहनों के डीलरों की कार्यशील पूंजी भी बढ़ सकती है।

पहले कर की गणना करते समय एक्सचेंज के मामलों में छूट के बाद उत्पाद के दाम में से पुराने वाहन के बाजार मूल्य को घटा दिया जाता था। सरकार की ओर की जारी जीएसटी नियमों में नए वाहन की बाजार मूल्य के मुताबिक कर की देनदारी की गणना की जाएगी। इस तरह से छूट की राशि पर भी कर लगेगा और उपभोक्ताओं को उस राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

जीएसटी के नए नियमों के मुताबिक पुराने वाहनों के खुदरा कारोबारियों व ट्रेडर्स को कर के दायरे में लाया गया है। मौजूदा नियमों में जहाँ पुरानी कारों को कर के दायरे से बाहर रखा गया था, अब नए नियम के मुताबिक नए उत्पादों की दर पर ही उन्हें भी कर का भुगतान करना होगा। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4.4.2017)**

जीएसटी 1 जुलाई से लागू करने का रास्ता साफ

राज्यसभा ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े चार विधेयकों को मंजूरी दे दी। इससे एक जुलाई से देश में ऐतिहासिक कर सुधार प्रणाली जीएसटी को लागू करने का रास्ता साफ हो गया।

राज्यसभा में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष को आश्वस्त किया कि नई कर प्रणाली में उपभोक्ताओं और राज्यों के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा और कृषि पर कर नहीं लगाया जाएगा सरकार को मिले कांग्रेस के समर्थन के बाद इन विधेयकों पर लाए गए विपक्ष के संशोधनों को उच्च सदन ने खारिज कर दिया।

राज्य सभा ने केन्द्रीय जीएसटी बिल 2017, एकीकृत जीएसटी बिल 2017, संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी विधेयक 2017 और जीएसटी से जुड़े राज्यों के प्रतिकर विधेयक को सम्मिलित चर्चा के बाद लोकसभा को ध्वनिमत से लौटा दिया। लोकसभा 29 मार्च को इन विधेयकों को मंजूरी दे चुकी है। धन विधेयक होने के कारण इन चारों बिलों पर राज्यसभा में केवल चर्चा करने का अधिकार था।

टैक्स पर संसद का अधिकार कम नहीं होगा : जीएसटी बिलों पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष को भरोसा दिया कि इन विधेयकों से कराधान के मामले में संसद के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संसद ने संविधान में संशोधन कर

जीएसटी परिषद को करों की दर की सिफारिश करने का अधिकार दिया है। जीएसटी परिषद संघीय निर्णय करने वाली संस्था है।

जेटली बोले, कृषि उत्पादों पर कोई कर नहीं

1. कृषि एवं कृषक को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। धारा 23 के तहत किसान एवं कृषि को छूट मिली हुई है। इसलिए कृषि उत्पादों पर कोई कर नहीं लगेगा।

2. वस्तु एवं जिंस की कीमतों में वृद्धि की आशंका गलत है। कर की दर वर्तमान स्तर पर रखी जाएंगी ताकि इसका मुद्रास्फीति संबंधी प्रभाव नहीं पड़े।

3. जीएसटी से देश में एक राष्ट्र-एक कर की प्रणाली लागू होगी। इससे केन्द्र के उत्पाद शुल्क, सेवाकर और राज्यों में लगने वाले वैट सहित कई अन्य कर इसमें समाहित हो जाएंगे।

4. जीएसटी प्रणाली से नुकसान झेलने वाले राज्यों को मुआवजा मिलेगा। शुरुआत में इसे पाँच साल के लिए रखा गया है।

5. रीयल इस्टेट में रजिस्ट्री और अन्य शुल्कों से राज्यों को काफी आय। राज्यों से चर्चा के बाद इसे जीएसटी से बाहर रखा गया।

6. कर दर तय करने वाली जीएसटी परिषद में केन्द्र का वोट एक तिहाई है, जबकि दो तिहाई वोट राज्यों को है। इसलिए केन्द्र द्वारा अपनी राय थोपने की आशंका नहीं है।

7. **केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी):** इसके माध्यम से उत्पाद, सेवा कर और अतिरिक्त सीमा शुल्क समाप्त हो जाने की स्थिति में केन्द्र को कर लगाने का अधिकार होगा।

8. **समन्वित जीएसटी :** इससे वस्तु और सेवाओं की राज्यों में आवाजाही पर केन्द्र को कर लगाने का अधिकार होगा।

पेट्रोलियम पदार्थ भी दायरे में : वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों के साथ चर्चा के बाद पेट्रोलियम पदार्थों को इसके दायरे में लाया गया है लेकिन इसे अभी शून्य दर के तहत रखा गया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 7.4.2017)**

कैश में एक चालान पर 10 हजार रुपये से ज्यादा जमा नहीं होगा जीएसटी

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने में अब तीन महीने से भी कम समय बचा है। बहुत से व्यवसायी जो फिलहाल सेवा कर, उत्पाद शुल्क या वैट के असेसी हैं वे या तो जीएसटी के लिए पंजीकरण करा चुके होंगे या फिर कराने जा रहे होंगे। इस सबके बीच आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जीएसटी के तहत कैश में एक चालान पर 10,000 रुपये से अधिक टैक्स जमा नहीं होगा। इसलिए आपको एक जुलाई से पहले यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जरुर हो।

जीएसटी काउंसिल ने वस्तु व सेवा कर के भुगतान से संबंधित नियम तैयार कर लिए हैं। सरकार ने इन नियमों का मसौदा हाल में सार्वजनिक किया है। इन नियमों के अनुसार आप इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) और रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के माध्यम से भी किसी बैंक से जीएसटी का भुगतान किया जा सकता है। हालांकि कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिये प्रति चालान मात्र दस हजार रुपये का जीएसटी भुगतान ही किया जा सकता है। वैसे, सरकारी विभागों के संबंध में यह सीमा लागू नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति पर जीएसटी बकाया है और उसकी चल-अचल संपत्ति बेचकर इस कर को वसूला जाता है तो उस मामले में भी यह सीमा लागू नहीं होगी। जो व्यक्ति समय पर जीएसटी भुगतान नहीं करेगा, उसे 18 प्रतिशत तक ब्याज चुकाना पड़ सकता है।

जीएसटी भुगतान करते समय व्यापारी को प्रत्येक ट्रांजैक्शन की एक पहचान संख्या दी जाएगी। इससे वह उस भुगतान के संबंध में जरूरत पड़ने पर पूछताछ कर सकेगा। खास बात यह है कि जीएसटी के लिए पंजीकृत सभी कारोबारियों का एक इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर रखा जाएगा। केन्द्रीय जीएसटी कानून की धारा 49 की उपधारा 7 के तहत यह रजिस्टर बनाया गया है। इसमें उक्त कारोबारी की ओर से जमा किए गए और बकाया टैक्स का पूरा ब्योरा होगा। साथ ही इस रजिस्टर में इस बात का विवरण भी होगा कि किस कारोबारी के खाते में कितनी राशि इनपुट क्रेडिट के रूप में है। वह इसका इस्तेमाल केन्द्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी, संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी या एकीकृत जीएसटी के भुगतान के लिए कर सकेगा। इससे कारोबारियों को आयकर का लाभ लेना आसान हो जाएगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 8.4.2017)**

जीएसटी के लिए उद्यमियों को कंप्यूटर ज्ञान जरूरी

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को लेकर राज्य के उद्यमियों को कंप्यूटर शिक्षित होना होगा। कंप्यूटर ज्ञान नहीं होने पर उद्यमियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वाणिज्य-कर विभाग का मानना है कि उद्यमी कंप्यूटर के जितने ही बेहतर जानकार होंगे, उन्हें जीएसटी के तहत काम करने में उतनी सुविधा होगी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 14.4.2017)**

बिजली दरों के नए दौर पर चर्चा

भारत के बिजली क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। इसमें नए शुल्क नियम शामिल है, जिसके तहत ऊर्जा दक्षता, ज्यादा मांग के दिनों में दरें, दिन के किसी खास वक्त की दरें तय हो सकती है। केन्द्रीय बिजली नियामक आयोग (सीईआरसी) जल्दी ही 2019-24 के लिए शुल्क के नियमन पर फैसले की कवायद शुरू करेगा। सीईआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि नियामक को इस क्षेत्र में चल रहे व्यापक बदलावों से वाकिफ है। एक अधिकारी ने कहा, 'बिजली परियोजनाओं के आवंटन या बिजली खरीद के मामले में बोली लागू होने से इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव हुआ है। ज्यादातर परियोजनाओं को कम बोली के कारण समर्थन लेना होता है। शुल्क ढांचे में बदलाव से उन्हें कर्ज चुकाने में मदद मिल सकती है।

सीईआरसी ने 2014 में मौजूदा शुल्क नीति (2014-19) पेश की थी तब सरकारी कंपनी एनटीपीसी ने संयंत्र की दक्षता से प्रोत्साहन को जोड़े जाने को लेकर न्यायालय में चुनौती दी थी। इसके व्यापक उद्देश्य में नए शुल्क नियमों पर चर्चा और बिजली उत्पादकों द्वारा प्रभावी तकनीक के इस्तेमाल से मिलने वाले लाभ शामिल हैं। दक्षता मानकों से कोयला आधारित बिजली संयंत्रों पर दबाव आएगा। उत्पादकों को डर है कि दक्षता मानकों को अगर मौजूदा शुल्क ढांचे में शामिल किया गया तो शायद उन्हें ज्यादा इंसेंटिव नहीं मिलेगा।

• 2019-24 के लिए नए शुल्क कानूनों पर शुरू होगी चर्चा • केन्द्र व राज्य सरकार के अधिकारी, केन्द्र व राज्य बिजली नियामक, उद्योग जगत के लोग और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ समिति में होंगे शामिल • बैठकें इस साल शुरू होंगी, पहला मसौदा दिसम्बर 2018 में आएगा, सार्वजनिक सुनवाई व अंतिम नियमन फरवरी 2019 में। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 14.4.2017)**

निजी क्षेत्र के रेल चलाने की राह में बाधाएं अनेक

अगर आपको पूरी ट्रेन मिल जाए तो इसका क्या मतलब होगा? भारतीय रेलवे केन्द्र सरकार के अधीन है, जो एकमात्र रेल संबंधी बुनियादी ढांचा और परिचालन सेवा प्रदाता है। अब तक रेलवे ही नियामकीय काम देखता था, लेकिन जल्द ही इसमें बदलाव होगा और इसके लिए रेल विकास प्राधिकरण की स्थापना होगी।

• सरकार ने पहले भी की है इस तरह की कवायद • जनवरी 2006 में रेल नेटवर्क पर कंटेनर ट्रेन चलाने के लिए निजी व सरकारी • लाइसेंस देने के बाद भी 74 प्रतिशन बाजार हिस्सेदारी के साथ कॉनकोर बनाए हुए है अपना दबदबा।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 14.4.2017)

प्रमंडलों में खुलेंगे प्रदूषण जाँच केन्द्र, निजी होंगे बंद

वाहनों से निकलने वाले धुएं से बढ़ रहे प्रदूषण व फिटनेस को लेकर सरकार गंभीर है। अनफिट वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट व प्रदूषण फैलाने के बावजूद प्रदूषण रहित सर्टिफिकेट लेकर घूमनेवाले वाहनों पर नकेल कसने के लिए परिवहन विभाग खुद की व्यवस्था में लगी है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विभाग कॉमर्शियल वाहनों के फिटनेस जांच को कड़ाई से अनुपालन के लिए नयी व्यवस्था पर जोर दे रही है। इसके लिए विभाग की ओर से ऑटोमोटिव फिटनेस सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए

विभाग में प्रक्रिया शुरू हो रही है। ऑटोमेटिव फिटनेस सेंटर पर वाहनों के फिटनेस व प्रदूषण की जांच होगी। सेंटर में वाहनों के फिटनेस व प्रदूषण जाँच आधुनिक तरीके से होगी। सरकारी स्तर पर सेंटर स्थापित होने से राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। ऐसे विभाग में मोटर यान निरीक्षक वाहनों के फिटनेस की सर्टिफिकेट देते हैं। पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण प्रदुषण जाँच के मामले में परेशानी होती है। ऐसे में प्राइवेट प्रदूषण जांच केन्द्र इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। सरकार के स्तर पर सेंटर खुलने से प्राइवेट सेंटर द्वारा जैसे-तैसे दिये जानेवाले फिटनेस व प्रदूषण रहित सर्टिफिकेट पर पाबंदी लगेगी। लोगों को अपने वाहन के फिटनेस को लेकर सजगता बढ़ेगी। प्रदूषण को लेकर कड़ाई से नियम का अनुपालन होने पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर अंकुश लगेगा।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 7.4.2017)

राज्य में स्थापित औद्योगिक इकाईयों द्वारा जनित बहि:स्राव के उपचार हेतु बहि:स्राव उपचार संयंत्र के संचालन से संबंधित आवश्यक सूचना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या-375/2012 (पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में दिनांक- 22.02.2017 को पारित आदेश के अनुसार ऐसी कोई भी औद्योगिक इकाई जिन्हें राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से संचालनार्थ सहमति की आवश्यकता पड़ती है तथा जो औद्योगिक बहि: स्राव (Industrial Effluent) जनित करती है, **वे तब तक अपने उद्योग का संचालन नहीं कर सकते है जब तक कि उनके उद्योग से जनित बहि:स्राव को मानक के अधीन लाने वाले बहि:स्राव उपचार संयंत्र की व्यवस्था नहीं हो।** उपरोक्त के आलोक में राज्य की सभी औद्योगिक इकाईयों को एतद् द्वारा सचेत किया जाता है कि:

1. अपने औद्योगिक इकाइयों से जनित बहि:स्राव के उपचार हेतु समुचित उपचार व्यवस्था, यदि अब तक कार्यरत नहीं हो, तो आदेश की तिथि (दिनांक 22.02.2017) से तीन महीने के अंदर 'बहि:स्राव उपचार संयंत्र' के सुचारू रूप से संचालन की व्यवस्था कर लें:

2. उपरोक्त अवधि के पश्चात राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा ऐसी सभी इकाईयों का निरीक्षण कर प्रारंभिक बहि:स्राव उपचार संयंत्र (Primary Effluent Treatment Plant) के संचालन का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के क्रम में स्थापित बहि:स्राव उपचार संयंत्र के मानक के अधीन संचालित नहीं पाये जाने की स्थिति में **वैसी औद्योगिक इकाई के औद्योगिक गतिविधि पर रोक लगा दी जायेगी।** साथ ही इकाई का संचालन रोकने हेतु, विद्युत आपूर्ति एजेन्सी को विद्युत लाईन विच्छेदन हेतु निदेश दिया जायेगा;

3. ऐसी औद्योगिक इकाई, जिनकी औद्योगिक गतिविधियों पर रोक लगायी गई हो, राज्य पर्षद् से पुन: संचालनार्थ सहमति प्राप्त होने के पश्चात् ही इकाई का संचालन प्रारंभ कर सकेंगे;

4. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दोषी औद्योगिक इकाईयों के विरूद्ध सुसंगत वैधानिक प्रावधानों के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या - 375/2012 में दिनांक 22.022017 को पारित आदेश को इस पर्षद् के वेबसाइट http ://bspcb.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

सदस्य-सचिव

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र रोड, पटना- 800010

दूरभाष नं. -0612-2261250, 2262265, फैक्स- 0612-22611050

ई-मेल- bspch@yahoo.com / वेबसाईट : http://bspch.bib.nic.in

(Sourse : The Times of India, 12.4.2017)

नाबालिग को गाड़ी दी तो रजिस्ट्रेशन रद्द, दुर्घटना होने पर पेरेंट्स को 3 वर्ष तक जेल

दो साल की कोशिशों के बाद मोटर व्हीकल एमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। बिल मंजूर होने के बाद शराब पीकर, बिना सीट बेल्ट बांधे या फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना अथवा बिना हेलमेट पहने बाइक चलाना, रेड लाइट तोड़ना या नाबालिगों को गाड़ी देना बहुत महंगा पड़ेगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिल पेश करते हुए कहा कि कानून में संशोधन से हादसे घटेंगे। कहा कि जनता में यातायात नियमों के प्रति न सम्मान है और न ही डर। अब लोग घर बैठे लर्निंग लाइसेंस का आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, पक्के लाइसेंस के लिए सबको परीक्षा देनी होगी। जल्द ही सरकार एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन करेगी।

विधेयक में विशेष प्रावधान : • किशोर को कार सौंपी तो पंजीकरण रद्द। किशोर दुर्धटना करता है तो पैरेंट्स को 25000 जुर्माना या 3 साल तक जेल • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार की जगह 10 हजार रुपए जुर्माना होगा • हेलमेट न लगाने पर 2500, लाल बत्ती तोड़ने पर 1000 रु. जुर्माना होगा • बेल्ट न लगाने पर 1000, मोबाइल से बात पर 5, 000 रु जुर्माना होगा।

(साभार : दैनिक भास्कर, 8.4.2017)

परिवहन नीति से ढुलाई खर्च होगा आधा

देश में परिवहन की लागत घटाने के लिए सरकार एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी तैयार करने में जुटी हुई है। जिसके लागू होने के बाद देश में परिवहन की लागत घटकर आधी रह जाएगी। राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने इसका एलान किया।

मई में होने वाली 'इंडिया इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स समिट' के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में गडकरी ने कहा इस नीति में रसद एवं परिवहन के लिए मौजूदा 'प्वाइंट टू प्वाइंट' (एक स्थान से दूसरे स्थान तक) की जगह 'हब एंड स्पोक' (साइकिल के पहिये में धुरे और तीलियों की तरह विभिन्न दिशाओं से केन्द्र और उसी तरह दूसरी दिशा में परिवहन) प्रणाली को अपनाया जाएगा।

गडकरी ने कहा कि नीति के तहत माल परिवहन को तेज करने के लिए देश में 50 आर्थिक गलियारों का निर्माण करने के साथ प्रमुख फीडर एवं अंतर गलियारा रूटों का उन्नयन किया जाएगा। योजना के तहत माल के भंडारण, छंटाई, वितरण एवं मूल्यवर्धन के लिए 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों का निर्माण होगा। इसके अलावा दस इंटर-मॉडल स्टेशन भी बनाए जाएंगे, जहाँ रोड, रेल, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, बस रैपिड ट्रांजिट (बीआरटी), ऑटो रिक्शा, टैक्सी एवं निजी वाहन एक-दूसरे के पूरक बनेंगे।

इसके लिए अब तक 65 हजार किलोमीटर नेटवर्क की पहचान की जा चुकी है। इसमें राजमार्गों के स्वर्ण चतुर्भुज, उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम गलियारों के अलावा प्रस्तावित गलियारे, बहुविधीय सम्मिलित गलियारा रूट तथा फीडर रूट शामिल हैं। इसी के साथ इन रूटों पर 191 छोटे-बड़े नगरों की पहचान भी की गई है, जहाँ जाम और यातायात घनत्व को कम करने के उपाय किए जाएंगे। राज्यों के बीच सीमाओं पर प्रक्रियागत एवं दस्तावेजी अड़चनों को सरल किया जाएगा। इससे आपूर्ति श्रृंखला की सकल लागत में 5-6 फीसद की कमी आएगी। लॉजिस्टिक पार्कों से लागत में 10 फीसद की कमी आने के साथ प्रदूषण में भी कमी आएगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 16.3.2017)**

BREATHE EASY: NO INCREASE IN CIRCLE RATE FOR LAND, APARTMENTS THIS YEAR

DOWNTREND Decision not to revise MVR can be attributed to ongoing slump in real estate sector and restricted cash flow post demonetisation, with volume of registration down in Patna, other cities.

Realtors in the city say decision of not revising MVR is prudent and insisted that they have been demanding cut back of circle rates at least for commercial zones.

Property buyers in Patna and other towns in the state can breathe easy as the state government has no immediate plan to revise the minimum value register (MVR) or circle rate of land and apartments, as done annually for last many years. The decision not to revise MVR could be attributed to the ongoing slump in the real estate sector and restricted cash flow post demonetisation with officials admitting that the volume of registrations has shown a downward trend in last few months in Patna and other cities.

IG, registration Aditya Kumar Das told HT that there was no proposal before the department to revise circle rates and the existing rates would continue. " As of now, there is no proposal to revise the MVR," he said. **(Details : Hindustan Time, 16.4.2017)**

बिहटा में जल्द बनेगा नया एयरपोर्ट : केंद्र सरकार

सरकार ने लोकसभा को बताया कि पटना के नजदीक बिहटा में नया एयरपोर्ट बनाने पर विचार किया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसका विस्तार करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता है। जमीन राज्य का विषय है और विमानन केन्द्र का मौजूदा समय में कोई विमान कंपनी लोड पर नियंत्रण नहीं चाहती है।

बांका के सांसद जयप्रकाश नारायण यादव के सवाल के जवाब में केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री गणपति राजू ने कहा कि पटना पर जेट विमान उतर रहे हैं और यह काफी व्यस्त एयपोर्ट है। इसे देखते हुए नये टर्मिनल का विकास किया जा रहा है। पटना के नजदीक बिहटा में नया एयरपोर्ट बनाने पर विचार किया जा रहा है। यह भारतीय सेना के नियंत्रण में है। इस बारे में सेना और राज्य सरकार से बात हुई है और दोनों जमीन देने पर राजी हैं। ऐसे में पटना में दूसरे एयरपोर्ट को विकास किया जा सकता है। कटिहार के सांसद तारिक अनवर ने पटना एयरपोर्ट से फॉरेन कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि पहले नेपाल एयरलाइंस का विमान पटना आता था, लेकिन अब बंद है। बिहार के कई लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं और इसे देखते हुए खाड़ी देशों से पटना तक विमान सेवा शुरू होनी चाहिए। **(साभार : प्रभात खबर, 7.4.2017)**

रेलवे प्राधिकरण को मंत्रिमंडल की मंजूरी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज रेलवे में बड़े सुधार की शुरूआत करते हुए रेल विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी। इससे पहले सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया था। सूत्रों के अनुसार रेल मंत्रालय इस बारे में एक सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करेगा। जल्दी ही खोज और चयन समिति की बैठक बुलाई जाएगी। उम्मीद है कि एक अगस्त से रेल विकास प्राधिकरण काम करना शुरू कर देगा। यह प्राधिकरण रेलगाड़ियों के किराए तय करेगा। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 6.4.2017)**

रेलवे ने माल भाड़े में बनाया रिकॉर्ड

भारतीय रेलवे ने माल भाड़े में रिकॉर्ड बनाया है। समय से मालगाड़ियों के परिचालन से यह उपलब्धि हासिल हुई है। रेलवे माल भाड़ा ग्राहकों को समय पर वैगन उपलब्ध कराने लगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जमसंपर्क अधिकारी अरविंद कुमार रजक ने बताया कि रेलवे मालभाड़ा ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए संकल्पित है।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार मल्टी प्वाइंट लोडिंग और साइडिंग नीति का सरलीकरण हो गया है। खाली गाड़ी चलने की दिशा में ऑटोमेटिक मालभाड़े में छूट की योजना चालू की गई है। कटैनर सैंटर को और अधिक वस्तुओं के लिए खोला गया है। मार्च 2017 में अब तक सबसे अधिक कंटेनर लोडिंग 4.47 मिलियन टन प्राप्त की गई है। मालभाड़ा टर्मिनलों को कंटेनर के लिए खोला गया है। बड़े मालभाड़ा ग्राहकों के बीच बेहतर तालमेल के लिए की करटमर मैनेजर की नियुक्ति की गई है।

माल यातायात के क्षेत्र में वर्ष 2016-17 में अब तक सर्वश्रेष्ठ समग्र लदान 1107.1 मिलियन टन दर्ज किया गया है। 137.2 मिलियन टन आयरन ओर, 48. 3 मिलियन टन स्टील की लदान की गई है। इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चा माल 21.1 मिलियन टन व अन्य मालभाड़ा 79.9 मिलियन टन की लदान की गई है। कोल इंडिया लिमिटेड ने 223 रेक प्रतिदिन लोडिंग की। रेलवे अगले पाँच वर्षों तक प्रति वर्ष कम से कम 50 साइडिंग, फ्रेट टर्मिनल स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 2016-17 में 44 प्राइवेट टर्मिनल कमिशन किया। रेलवे नए प्रकार के माल यातायात जैसे व्हाइट गुड्स, एफएमसीजी, ऑटो आदि की ढुलाई करने के क्षेत्र में विशेष प्रयास कर रही है। **(साभार : दैनिक जागरण, 7.4.2017)**

जून तक मेट्रो रेल का काम हो जाएगा शुरू

सूबे में इसी वर्ष जून के पहले राजधानी में मेट्रो रेल परिचालन के लिए नींव डाल देने की तैयारी चल रही है। केन्द्र सरकार ने राजधानी में मेट्रो रेल परियोजना के संचालन की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस संदर्भ में शीघ्र ही आदेश जारी हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा मेट्रो रेल के लिए भेजे गए फाइनल डीपीआर को केन्द्र से हरी झंडी मिल जाने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार मेट्रो रेल परिचालन के लिए सरकारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस संदर्भ में तिथि की घोषणा शेष बची है। ज्ञान हो कि केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और नगर विकास मंत्री महेश्वर हजारी के बीच पिछले वर्ष ही बातचीत में केन्द्र सरकार ने पटना मेट्रो रेल के परिचालन की सैद्धांतिक मंजूरी दे थी। यदि केन्द्र सरकार मेट्रो रेल के लिए अपने संसाधन से राशि नहीं भी करेगा तो जायका मेट्रो रेल के लिए 90 फीसदी राशि ऋण दे देगा। योजना के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले वर्ष 2019 में मेट्रो रेल के एक रूट के लिए उद्घाटन कर दिया जाएगा।

रूट वन ए (ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर) इस प्रकार है : दानापुर कैंट, सताब्दी स्मारक, आरपीएस मोड, आईएएस कोलोनी, रूकनपुरा, राजा बाजार, जेडी वीमेंस कॉलेज, राजभवन, पटना सचिवालय, पटना हाईकोर्ट, आयकर चौराहा, पटना जंक्शन, चाणक्या लॉ यूनिवर्सिटी तथा मीठापुर बाइपास तक।

रूट टू: (नार्थ-साउथ कॉरिडोर) इस प्रकार है : पटना जंक्शन, आकाशवानी, गाँधी मैदान, पीएमसीएच, यूनिवर्सिटी, प्रेमचन्द रंगशाला, राजेन्द्र नगर, नालंदा मेडिकल कालेज, कुम्हरार, गाँधी सेतु, जीरो माइल तथा नया बस अड्डा तक।

दोनों रूटों पर कुल 28 किलोमीटर तक मेट्रो रेल दौड़ेगी। सगुना मोड़ से मीठापुर बस अड्डा तक 13.68 किलोमीटर तक मेट्रो दूरी तय करेगी, जबकि पटना जक्शन से वाया गाँधी मैदान होते हुए नया बस अड्डा तक 14.2 किलोमीटर तक मेट्रो रेल दौड़ेगी। **(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 6.4.2017)**

वेटिंग का 'विकल्प', कंफर्म मिलेगी बर्थ

रेलवे ने घोषित यात्री कई सुविधाओं को लागू कर दिया है। अब इंटरनेट से टिकट यानी ई- टिकट बुक कराते समय आपको सीट उपलब्धता संबंधी विकल्प का ऑप्शन मिलेगा। यह योजना सभी यात्रियों को कंफर्म टिकट मुहैया कराने के लिए शुरू की गई है। इसके अलावा अब इंटरनेट से टिकट बुक कराने पर कोई सर्विस चार्ज नहीं कटेगा। बुजुर्गों के लिए सारथी सेवा भी शुरू कर दी गई है। यह सभी योजनाएं पहली अप्रैल से लागू हो गई हैं।

यात्री सुविधाएँ : • इंटरनेट से टिकट बुक कराने पर नहीं लग रहा सर्विस चार्ज • बुजुर्ग यात्रियों के लिए सारथी सेवा पर आधार कार्ड से टिकट नहीं • यह योजना सभी यात्रियों को कंफर्म टिकट देने के लिए शुरू की गई है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 3.4.2017)

रेलगाड़ी बनेगी कंपनियों के विज्ञापन का नया ठिकाना

अब जल्द ही भारतीय कंपनियों को विज्ञापन के लिए एक नया ठिकाना मिलने जा रहा है। यह ठिकाना कहीं और नहीं बल्कि भारतीय रेल होगा। भारतीय कंपनियाँ जल्द ही विज्ञापन (विनाइल रैपिंग) के इस नए माध्यम के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्द्धा करती नजर आएंगी। इस संबंध में इस महीने के अंत में निविदा आमंत्रित की जाएगी। बोली प्रक्रिया में सफल कंपनियों को रेलगड़ियों के अंदर और बाहर विज्ञापन देने का अधिकार मिलेगा। इसके तहत देश में करीब 10,000 रेलगड़ियों पर विज्ञापन दिखेंगे। इस नई पहल से भारतीय रेल को 2,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व की भी प्राप्ति होगी।

• इसी महीने जारी हो सकती है विज्ञापन के लिए निविदा • देश में करीब 10,000 रेलगड़ियों पर लगाए जाएंगे विज्ञान • इससे रेलव को मिलेगा 2,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व • बोली प्रक्रिया के लिए रेलगाड़ियों की बनाई जाएंगी पाँच श्रेणियाँ। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 11.4.2017)**

पाटलिपुत्र जंक्शन के पास कचरे से बनेगी बिजली

ट्रेनों और स्टेशनों के कचरे से अब बिजली बनेगी। इस बिजली का इस्तेमाल स्टेशनों को रोशन करने में होगा। इससे अधिक होने पर आसपास के मोहल्लों में बिजली सप्लाई भी की जाएगी। इसके लिए पाटलिपुत्र जंक्शन के पास रेलवे की जमीन पर गार्बेज डिस्पोजल प्लांट लगेगा। इसका निर्माण पीपीपी मोड पर प्राइवेट कंपनी करेगी। पूर्व मध्य रेल में इस तरह का यह पहला प्लांट होगा। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 6.3.2017)**

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)

चौथे एवं पाँचवा तल्ला, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना का मुख्यालय भवन, हॉस्पीटल रोड, शास्त्रीनगर, पटना-800023

आम सूचना

सं.सं.-प. महा. क्षे. प्रा.-01 /2017.....17....पटना, दिनांक - 11.4.2017

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार का कार्यालय, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना का मुख्यालय भवन, हॉस्पीटल रोड, शास्त्रीनगर, पटना-800023 के चौथे एवं पाँचवा तल्ला पर कार्यरत है। पटना महानगर क्षेत्र में नगर निकायो के क्षेत्र छोड़कर इतर क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के भवन निर्माण के नक्शे / Layout की स्वीकृति हेतु पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार पटना सक्षम प्राधिकार है।

अत: भवन निर्माण के इच्छुक भू-स्वामी / बिल्डर / अन्य द्वारा भवन निर्माण के पूर्व भवनों के नक्शे / स्लेवनज की स्वीकृति हेतु बिहार भवन उपविधि, 2014 के अनुसार विहित प्रपत्र में आवेदन जमा किया जा सकता है। बिहार भवन उपविधि, 2014 के अनुसार वैसे बिल्डर / वास्तुविद् / अभियता एवं तकनीकीकर्मी जो पटना महानगर क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी निकायों में जिनका निबंधन / सूचीकरण है, पटना महानगर क्षेत्र के लिए तत्काल मान्य होगा पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान के साथ अनुमोदित Development Control Regulation (DCR) लागू होगा।

प्राधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निकाय क्षेत्र के इतर क्षेत्र में किसी अन्य स्तर से पारित भवन के नक्शे / Layout की मान्यता नहीं दी जायेगी।

(शीर्षत कपिल अशोक)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार, बिहार, पटना।

Website : www.prdbihar.gov. in

(साभार : टाइम्स ऑफ इंडिया, 15.4.2017)

18 जून को बिना दान दहेज फेरे लेंगे 51 जोड़े

माँ वैष्णो देवी सेवा समिति द्वारा लगातार आठ वर्षों की भाँति पटना में सामूहिक विवाह कार्यक्रम 18 जून को श्री कृष्ण मेमोरियल हाल में संपन्न होगा जिसमें 51 जोड़े युवक/युवतियाँ विवाह के बंधन में बंधेंगे। इस वर्ष के आयोजन कि खास बात यह है कि विवाह समारोह के साथ ही कैंसर जागरूकता कार्यक्रम भी होगा। यह जानकारी देते हुए माँ वैष्णो देवी सेवा समिति के मुकेश हिसारिया ने बताया कि इन नव विवाहित जोड़ों को गृहस्थी आरम्भ करने के लिए आवश्यक सामग्री भी संस्था द्वारा उपहार स्वरुप प्रदान की जाएगी। इस आदर्श विवाह में समाज के प्रबुद्ध लोगों द्वारा इन नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया जाएगा।

श्री हिसारिया ने बताया कि यदि कोई ऐसा जोड़ा हो जो आर्थिक मजबूरी के कारण शादी नहीं कर पा रहे हैं तो वे हमारी समिति से संपर्क कर सकते हैं तथा शादी हेतु रजिस्ट्रेशन फार्म भरकर 10 मई तक जमा कर सकते हैं। भरे हुए फार्म कि जांच एवं कानूनी प्रक्रिया से संतुष्ट होने के बाद समिति शादी के जोड़े को शगुन का सामान उपलब्ध कराएगी। शादी के रजिस्ट्रेशन फार्म हेतु मोबाईल नं. 9334030445, 9204719554, 9430061498, 9431011595 पर संपर्क किया जा सकता है।

नवी मुम्बई व पुणे की तर्ज पर होगा राजधानी का विकास

पटना मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए तीन शहरों का हुआ अध्ययन, सौंपी जाएगी रिपोर्ट

पटना मेट्रोपॉलिटन सिटी का विकास नवी मुम्बई और पुर्ण की तर्ज पर किया जाएगा। इसके लिए कवायद तेज हो गई है। शास्त्रीनगर में पटना मेट्रोपॉलिटन कमेटी को कार्यालय भी मिल गया है। नगर विकास सह आवास विभाग की और से इंजीनियर एवं टाउन प्लानर का भी नियुक्ति भी हो गई है।

कमेटी के नवनियुक्त सीईओ शीर्षत कपिल अशोक के नेतृत्व में चार सदस्यीय इंजीनियर व टाउन प्लानर की टीम ने मार्च के अंतिम सप्ताह में चार दिनों तक नयी मुम्बई के खारघर एवं पुणे के मगरपट्टा इलाके का निरीक्षण किया। इन शहरों के आधार पर ही राजधानी को विकसित करने की कार्ययोजना बनाई गई है। टीम नगर विकास सह आवास विभाग को अपनी रिपोर्ट भेजेगी। **(साभार: दैनिक जागरण, 5.4.2017)**

कूड़ा उठाव के लिए हर वार्ड में तैनात रहेंगे दो-दो सुपरवाइजर

शहर में डोर- टू-डोर कूड़ा उठाव की प्रक्रिया छह अप्रैल से शुरू हो रही है। इसके लिए चयनित दो एजेंसी अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप देने में लगी है। इसके तहत घर-घर से सुबह छह बजे से 10 बजे तक कूड़ा उठाया जाएगा।

चयनित एजेंसी के मजदूर घरों से कूड़ा उठाएंगे। इसकी निगरानी के लिए हर वार्ड में दो-दो सुपरवाइजर रहेंगे। सफाई मजदूर घरों से कूड़ा लेकर निगम के डस्टबिन में डालेंगे। इसके बाद निगम का वाहन हर डस्टबिन से उसे उठा कर कचरा डंपिंग स्टेशन पहुंचाएगा। पाटलिपुत्र, नूतन राजधानी, कंकड़बाग एवं बांकीपुर अंचलों के 55 वार्डों में घर-घर से कूड़ा उठाव किया जाएगा। कूड़ा उठाव के बदले हर घर से 60-60 रुपये लिए जाएंगे। बीपीएल एवं झुग्गी-झोपड़ी वालों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

हर माह करना होगा भुगतान : • रु० 60 प्रत्येक घर से • रु० 100 छोटे दुकानदार • रु० 5,000 कोचिंग संस्थान • रु० 5,000 रेस्टोरेंट, क्लीनिक व ऑफिस • रु० 10,000 स्टार रेटेड होटल। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 5.4.2017)**

फूड प्रोसेसिंग उद्योग लिए संपदा स्कीम जल्द

सरकार जल्दी ही फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 6000 करोड़ रुपये की स्कीम संपदा लांच करेगी। इसका मकसद मौजूदा और नई स्कीमों को एकीकृत करके कृषि उपजों की बर्बादी रोकना और किसानों की आय दोगुनी करना है। फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि उनका मंत्रालय जल्दी ही स्कीम फॉर एग्री-मैरीन प्रोड्यूस प्रोसेसिंग एंड डवलपमेंट ऑफ एग्री-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स (संपदा) को मंजूरी दिलाने के लिए कैबिनेट में नोट प्रस्तुत करेगा। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि यह स्कीम जल्दी ही लांच की जाएगी। इसमें मेगा फूड पार्क और कोल्ड चेन जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल कर लिया जाएंगे। इसके अलावा तीन नई स्कीमें इसके अधीन होंगी। ये स्कीम भी लांच की जानी हैं। समूची फूड सप्लाई चेन में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से तीन स्कीमें लांच होंगी। इनमें फूड प्रोसेसिंग व प्रिजर्वेशन क्षमता विकसित करने और विस्तार करने, नये एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज स्कीमें हैं।

बादल ने कहा कि सरकार फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। इसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद उपज की बर्बादी को पूरी तरह बंद किया जा सके। **(साभार : दैनिक जागरण, 12.4.2017)**

विनम्र निवेदन

माननीय सदस्यों की सेवा में वर्ष 2017-18 के सदस्यता शुल्क का विपत्र भेज दिया गया है। कृपया अपना सदस्यता शुल्क यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें।

EDITORIAL BOARD
EDITOR
SHASHI MOHAN
SECRETARY GENERAL

Convenor
Library & Bulletin Sub-Committee
RAMCHANDRA PRASAD

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary